

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 5-12-2014-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा, शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. पालो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, को दिनांक 21 मार्च 2016 से दिनांक 22 मार्च 2016 तक के आकस्मिक अवकाश/सार्वजनिक अवकाश के साथ यात्रा सुविधा का लाभ लेने के फलस्वरूप भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-ईएसटीटी (ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एल. टी. सी. एवं 10 दिवस का पूर्ण वेतन भत्ते सहित अवकाश नगदीकरण करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं.

(2) उपरोक्तानुसार नगद भुगतान एक मुश्त किया जावे. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के प्रावधान अनुसार यह नगदीकरण सेवानिवृत्ति

के समय अनुमत अधिकतम 300 दिन के नगदीकरण में से घटाया नहीं जावेगा.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ ए 3-24/2016/एक (1).—राज्य शासन, एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-31/2001/एक (1) दिनांक 3 अगस्त 2005 को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को एवं अविभाजित मध्यप्रदेश के ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को, जो विद्यमान मध्यप्रदेश के विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हों, को मंत्रियों के समान देय वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान करता है.

(2) पूर्व मुख्यमंत्री, यदि केन्द्र अथवा राज्य में मंत्री पद धारित करते हैं, तो उस अवधि के लिये उन्हें इसकी पात्रता नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

1371

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. एफ-1 (ए)-390-88-ब-2-दो.—(1) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाने हेतु दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 एवं 8-10 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. एफ-1 (ए) 26-94-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री उपेन्द्र जैन, भा. पु. से., अतिरिक्त महानिदेशक/संचालक खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 2 से 15 मई 2016 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्र. एफ-1 (बी)85-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	07	श्रीमती लता त्रिपाठी, C/o श्री पी. बी. त्रिपाठी, 110, टकसाल झांसी, उत्तर प्रदेश-284002.	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल.

(2) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भा. पु. से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन, भा. पु. से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ-1 (ए) 272-86-ब-2-दो.—श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 18 अप्रैल 2016 का आकस्मिक अवकाश दिनांक 20-21 अप्रैल 2016 का ऐच्छिक अवकाश एवं 14-17, 19 अप्रैल 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर लुधियाना (पंजाब) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री स्वर्ण सिंह, - स्वयं
2. श्रीमति मंजीत सिंह - पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री स्वर्ण सिंह भापुसे, का कार्य श्री नवल सिंह रघुवंशी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीआरआई, पुमु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

(2) श्रीमती लता त्रिपाठी के संबंध में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 1659-संभाग-डीएमबी-16, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा यह लेख किया गया है कि दिनांक 18 फरवरी 2016 को संभागीय चिकित्सा मंडल द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि श्रीमती त्रिपाठी को 31 सप्ताह का गर्भ है। ऐसी स्थिति में मंडल के निर्णय अनुसार इनको टेम्पेरी अनफिट किया जाता है। अतः संभागीय चिकित्सा मंडल भोपाल के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती लता त्रिपाठी को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर उनके द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के संबंध में संभागीय चिकित्सा मंडल से उपयुक्त होने (Fit) का स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर ही पदस्थापना कार्यालय में कार्यालय प्रमुख द्वारा उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा। पूर्ण स्वस्थ (Fit) होने के स्वास्थ्य परीक्षा प्रतिवेदन को इनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने पर कॉलम (4) में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा और नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1993 में शासित होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अर्जाएँ एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(9) प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2016

फा. क्र. 17(ई)08-2016-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजय शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, रीवा की सेवायें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बेंच भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

फा. क्र. 17(ई)51-2005-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारीगण की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2013-उत्तीस (2) दिनांक 31 मार्च 2016 द्वारा उनकी नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के फलस्वरूप, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है :—

क्र.	नाम व पद	प्रतिनियुक्ति की पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्राणेश कुमार प्राण, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोरा जिला जबलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल.
2	श्री विरेन्द्र एस. पाटीदार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर जिला शिवपुरी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.
3	श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महिन्दपुर जिला उज्जैन.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सागर.
4	श्री जसरथ राज बच्चन, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर.
5	श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, धार.
6	श्री रवि कुमार नायक, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, गुना.

(1)	(2)	(3)
7	श्री विजय मालवीय, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना.
8	श्री गजेन्द्र सिंह, अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उज्जैन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1(बी)27-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है :—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री अरूण देव खरे	चतुर्थ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला छतरपुर.
2	श्री बृजेन्द्र दत्त शुक्ल	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक तह. बिजावर, जिला छतरपुर.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

फा. क्र. 1(सी)05-2016-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो) शुद्धि-पत्र.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 मार्च 2016 के पैरा दो में श्री अभय कुमार पाटील के स्थान पर श्री जियालाल चौधरी पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ. 7-6-2016-छैः.—भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान, होम डिपार्टमेंट मतबुआ ग्वालियर राज्य

गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कालम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-6-1993-छ: दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशागाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिये मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात् :-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	अध्यक्ष	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन	सदस्य	मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. 980-1151-2016-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री गिरजेश कुमार सनोधिया, AJ to CJ-II & JMFC
2	अनूपपुर	अनूपपुर	श्री सिद्धार्थ तिवारी, II CJ-I & JMFC
3	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती रितु वर्मा कटारिया I CJ-II & JMFC
4	दमोह	दमोह	श्रीमती शिवानी शर्मा, I CJ-II & JMFC
5	दतिया	दतिया	श्रीमती रेखा मरकाम, AJ to CJ-II & JMFC
6	धार	धार	श्रीमती रितुश्री गुप्ता, V AJ to I CJ-II & JMFC
7	डिंडोरी	डिंडोरी	श्री पुष्परज उईके, II CJ-II & JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
8	हरदा	हरदा	कु. उर्मिला यादव, III CJ-II and JMFC
9	इंदौर	इंदौर	श्रीमती निशा गुप्ता, VII CJ-I and ACJM
10	झाबुआ	झाबुआ	श्रीमती नीलिमा देवदत्त I CJ-II & JMFC
11	खंडवा	खण्डवा	श्रीमती रेखा चन्द्रवंशी, III CJ-I and JMFC
12	मंडला	मंडला	श्रीमती स्वप्ना श्री सिंह, III CJ-II and JMFC
13	मंदसौर	मंदसौर	श्री विरेन्द्र जोशी, II CJ-II and JMFC
14	मुरैना	मुरैना	श्रीमती प्राची शर्मा, उपाध्याय V CJ-II & JMFC
15	नीमच	नीमच	श्री किशोर कुमार गेहलोत II CJ-I & JMFC
16	राजगढ़	राजगढ़	श्री राजेश नंदेश्वर II CJ-I & ACJM
17	रतलाम	रतलाम	श्रीमती रश्मि मिश्रा, II AJ to I CJ-I & JMFC
18	सागर	सागर	श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, III CJ-I & JMFC
19	सीहोर	सीहोर	कु. ज्योत्सना आर्या, V Civil Judge Class-II
20	सिवनी	सिवनी	श्रीमती संतोषी वाशनिक III CJ-I & JMFC
21	शहडोल	शहडोल	श्रीमती प्रेमा साहू, II AJ to I CJ-I & JMFC
22	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती मंजू सिंह, IV CJ-II & JMFC
23	श्योपुर	श्योपुर	श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, II CJ-II & JMFC
24	शिवपुरी	शिवपुरी	श्रीमती चैनवती तारम, II AJ to I CJ-II & JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
25	सीधी	सीधी	श्री शिव चरण पटेल, II CJ-II & JMFC
26	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती आरती शर्मा, IV CJ- II & JMFC
27	उज्जैन	उज्जैन	डॉ. सारिका गिरी शर्मा, VIII CJ-II & JMFC
28	उमरिया	उमरिया	श्रीमती कल्पना मरावी, CJ-II & JMFC
29	आगर-मालवा (शाजापुर)	आगर-मालवा	श्रीमती प्राची पटेल, AJ to CJ-I & JMFC

No. 980-1151-2016-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of children) Act 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvnile Justice Bord & its Head Quarter	Name of the DisRICTS	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Alirajpur	Shri Girjesh Kumar Sanodhiya, AJ to CJ-II & JMFC
2	Anuppur	Anuppur	Shri Siddharth Tiwari, II CJ-I & JMFC
3	Ashok Nagar	Ashok Nagar	Smt. Ritu Verma Katariya, I CJ-II & JMFC
4	Damoh	Damoh	Smt. Shivani Sharma, I CJ-II & JMFC
5	Datia	Datia	Smt. Rekha Markam, AJ to CJ-II & JMFC
6	Dhar	Dhar	Smt. Ritushree Gupta, V AJ to I CJ-II & JMFC
7	Dindori	Dindori	Shri Pushparaj Uikey, II CJ-II & JMFC
8	Harda	Harda	Ku. Urmila Yadav, III CJ-II and JMFC
9	Indore	Indore	Smt. Nisha Gupta, VII CJ-I and ACJM

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Jhabua	Jhabua	Smt. Neelima Devdutt, I CJ-II & JMFC
11	Khandwa	Khandwa	Smt. Rekha Chandrawansi, III CJ-I and JMFC
12	Mandla	Mandla	Smt. Swapna Shri Singh III CJ-II and JMFC
13	Mandsaur	Mandsaur	Shri Virendra Joshi, II CJ-II & JMFC
14	Morena	Morena	Smt. Prachi Sharma Upadhyay, V CJ-II & JMFC
15	Neemuch	Neemuch	Shri Kishore Kumar Gehlot, II CJ-I & JMFC
16	Rajgarh	Rajgarh	Shri Rajesh Nandeshwar II CJ-I & ACJM
17	Ratlam	Ratlam	Smt. Rashmi Mishra, II AJ to I CJ-I & JMFC
18	Sagar	Sagar	Smt. Pallavi Dwivedi, III CJ-I & JMFC
19	Sehore	Sehore	Ku. Jyotsna Arya, V Civil Judge Class-II
20	Seoni	Seoni	Smt. Santoshi Vashnik, III CJ-I & JMFC
21	Shahdol	Shahdol	Smt. Prema Shahu, II AJ to I CJ-I & JMFC
22	Shajapur	Shajapur	Smt. Manju Singh, IV-CJ-II & JMFC
23	Sheopur	Sheopur	Smt. Neha Shrivastava, II-CJ-II & JMFC
24	Shivpuri	Shivpuri	Smt. Chainwati Taram, II AJ to I CJ-II & JMFC
25	Sidhi	Sidhi	Shri Shiv Charan Patel, II CJ-II & JMFC
26	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Arti Sharma, IV CJ-II & JMFC
27	Ujjain	Ujjain	Dr. Smt. Sarika Giri Sharma, VIII-CJ-II & JMFC
28	Umariya	Umariya	Smt. Kalpana Maravi, CJ-II & JMFC
29	Agar-Malwa (Shajapur).	Agar-Malwa	Smt. Prachi Patel, AJ to CJ-I & JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ ए-3-60-2005-1-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-60-2005-1-पांच (20), दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142, दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 (2), 284 (3) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है:—

अ.क्र. (1)	राजपत्र की पृष्ठ संख्या (2)	अधिसूचना की पंक्ति (3)	अशुद्ध (4)	शुद्ध (5)
1	284 (2)	4	(09)	(05)
2	284 (3)	18	(09), dated 31st March, 2015	(05), dated 26th March, 2013

क्र. एफ ए-3-17-2016-1-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2016-1-पांच (22), दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142, दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 (4) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है:—

शुद्धि-पत्र

अ.क्र. (1)	राजपत्र की पृष्ठ संख्या (2)	अधिसूचना की पंक्ति (3)	अशुद्ध (4)	शुद्ध (5)
1	284 (4)	6	(ख)	(क)
2	284 (4)	23	(b)	(a)

क्र. एफ ए-3-11-2013-1-पांच.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2013-1-पांच (21), दिनांक 31 मार्च 2016 जो, मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 142, दिनांक 31 मार्च 2016 में पृष्ठ क्रमांक 284 (3) में प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है:—

शुद्धि-पत्र

अ.क्र. (1)	राजपत्र की पृष्ठ संख्या (2)	अधिसूचना की पंक्ति (3)	अशुद्ध (4)	शुद्ध (5)
1	284 (3)	4	31 मार्च 2015	30 मार्च 2015

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-20/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22⁰,31',35.252"N से 22⁰,31',46.067" उत्तर अक्षांश तथा 75⁰,52',50.781" से 75⁰,53',7.495" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - इन्दौर
वनमण्डल - इन्दौर

तहसील - महू
वन परिक्षेत्र - चोरल

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	मेमदी	मेमदी	शासकीय चारागाह	721/1 721/2/1	1.122 2.388	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 19 तक की कृत्रिम सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 19 से 32 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 32 से 36 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 36 से 40 एवं मुनारा क्र. 40 से 01 तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	3.510	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010-FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.510 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25/अकरी/2011 दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-

तहसीलदार महू, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-20-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-20/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22⁰,31',35.252"N to 22⁰,31',46.067" North Latitude and 75⁰,52',50.781" to 75⁰,53',7.495" East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore
Forest Division - Indore

Tehsil. - Mhow
Forest Range - Choral

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Memdi	Memdi	Shashkiya Charagah	721/1 721/2/1	1.122 2.388	7
				Total	3.510	North - Munara No. 01 to 19 Artificial boundary line East - Munara No. 19 to 32 Artificial boundary line South - Munara No. 32 to 36 Artificial boundary line West - Munara No. 36 to 40 and Munara No. 40 to 01 Artificial boundary line

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8-109/2010-FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar Mhow, the above mentioned Non Forest Land of 3.510 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/Akri-2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

- (B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mhow, District-Indore are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-20/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22, 0'30", 7.045" से 22, 0'30", 19.005" उत्तर अक्षांश तथा 75, 0'37", 26.996" से 75, 0'38", 1.330" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - इन्दौर
वनमण्डल - इन्दौर

तहसील - महू
वन परिक्षेत्र - मानपुर

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० मी)	
1	खुदालपुरा	खुदालपुरा	शासकीय पहाड़ चारागाह	25	1.497	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम सीमा।
				29	13.800	पूर्व - मुनारा क्रमांक 08 से 13 तक की कृत्रिम सीमा।
						दक्षिण - मुनारा क्रमांक 13 से 20 तक की कृत्रिम सीमा।
						पश्चिम - मुनारा क्रमांक 20 से 22 एवं मुनारा क्र. 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	15.297	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010-FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महु की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.297 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25/अकरी/2011 दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-

तहसीलदार महु, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-20-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-20/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from

time to time. This Forest Block lies between 22⁰,30',7.045" to 22⁰,30',19.005" to North Latitude and 75⁰,37',26.996" to 75⁰,38',.1.330" East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore
Forest Division - Indore

Tehsil. - Mhow
Forest Range - Manpur

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Memdi	Memdi	Shashkiya Charagah	721/1 721/2/1	1.122 2.388	North -	Munara No. 01 to 08 Artificial boundary line
						East -	Munara No. 08 to 13 Artificial boundary line
						South -	Munara No. 13 to 20 Artificial boundary line
						West -	Munara No. 20 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line
				Total	15.297		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8-109/2010-FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 15.297 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/Akri-2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mhow, District-Indore are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-20/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22,⁰31,54.767" से 22,⁰32,16.658" उत्तर अक्षांश तथा 75⁰,37',46.073" से 75,⁰38.2.696" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला — इन्दौर
वनमण्डल — इन्दौर

तहसील — महू
वन परिक्षेत्र — मानपुर

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सीतापाट	सीतापाट	शासकीय पहाड़ चारागाह	217/1/1/1 ग पेकी	15.257	उत्तर — मुनारा क्रमांक 01 से 03 तथा 3 से 10 तक की कृत्रिम सीमा।
				217/1/1/2	5.676	पूर्व — मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम सीमा।
				217/1/1/3	0.113	दक्षिण — मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक की कृत्रिम सीमा।
				योग	21.046	पश्चिम — मुनारा क्रमांक 16 से 22 तथा मुनारा क्र. 22 से 01 तक की कृत्रिम सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010-FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.046 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25/अकरी/2011, 228/अकरी/ दिनांक 30.08.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2: अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-

तहसीलदार महू, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-20-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-20/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22^o31',54.767" to 22^o32'16.658" North Latitude and 75^o37',46.073" to 75^o38',2.696" East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore
Forest Division - Indore

Tehsil. - Mhow
Forest Range - Manpur

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sitapat	Sitapat	Shashkiya Pahad Chattan	217/1/1/1g pe ki 217/1/1/2 217/1/1/3	15.257 5.676 0.113	North - Munara No. 01 to 03 and 3 to 10 Artificial boundary line	
						East - Munara No. 10 to 15 Artificial boundary line	
						South - Munara No. 15 to 16 Artificial boundary line	
						West - Munara No. 16 to 22 and Munara No. 22 to 01 Artificial boundary line	
				Total	21.046		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8-109/2010-FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 15.297 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/Akri-2011 dated 07.02.2011, 228/Akri-2011 dated 30.08.2012 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mhow, District-Indore are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-20/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°41,12.808" से 22°41,28.678" उत्तर अक्षांश तथा 76°8'.33.4780" से 76°9',1.540" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - इन्दौर
वनमण्डल - इन्दौर

तहसील - इन्दौर
वन परिक्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवनी (अ)	शिवनी	शासकीय पहाड़ चारागाह	668	26.647	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 04 से 09 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 09 से 12 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 12 से 18 तक एवं मुनारा क्र. 18 से 01 की कृत्रिम सीमा।
			योग		26.647	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010-FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महु की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.647 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25/अकरी/2011, दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-

तहसीलदार महु, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-20-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-20/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°41,12.808" to 22°41,28.678" North Latitude and 76°8',33.4780" to 76°9',1.540" East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore
Forest Division - Indore

Tehsil. - Indore
Forest Range - Indore

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Shivni A	Shivni A	Shashkiya Pahad Chattan	668	26.647	North -	Munara No. 01 to 04 Artificial boundary line
						East -	Munara No. 04 to 09 Artificial boundary line
						South -	Munara No. 09 to 12 Artificial boundary line
						West -	Munara No. 12 to 18 and Munara No. 18 to 01 Artificial boundary line
				Total	26.647		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climet change, Govt. of India's order no. F.No. 8-109/2010-FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 26.647 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/Akri-2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mhow, District-Indore are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-20/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22⁰31,37.823" से 22⁰31,56.905" उत्तर अक्षांश तथा 75⁰,37'.41.593" से 75⁰37',53.087" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

:: अनुसूची ::

जिला - इन्दौर
वनमण्डल - इन्दौर

तहसील - महू
वन परिक्षेत्र - मानपुर

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कमदपुर	कमदपुर	शासकीय चारागाह	188/1/1 क	13.500	उत्तर - मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक एवं मुनारा क्र. 09 से 01 की कृत्रिम सीमा।
				योग	13.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-109/2010-FC दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार तहसील महू की स्वीकृत परियोजना आय.आय.टी. इंदौर भवन एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु में प्रभावित 80.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 80.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर इन्दौर के आदेश क्रमांक 25/अकरी/2011, दिनांक 07.02.2011 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी :-

तहसीलदार महू, जिला-इन्दौर के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-20-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-20/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°31,37.823" to 22°31,56.905" North Latitude and 75°37'.41.593" to 75°37'.53.087" East Longitude.

SCHEDULE

District - Indore
Forest Division - Indore

Tehsil. - Mhow
Forest Range - Manpur

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kamadpur	kamadpur	Shashkiya Chattan	188/1/1 k	13.500	North -	Munara No. 01 to 02 Artificial boundary line
						East -	Munara No. 02 to 05 Artificial boundary line
						South -	Munara No. 05 to 08 Artificial boundary line
						West -	Munara No. 08 to 09 and Munara No. 09 to 01 Artificial boundary line
				Total	13.500		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8-109/2010-FC dated 05.04.2013 and in lieu of 80.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of I.I.T. Indore of Tehsildar mhow, the above mentioned Non Forest Land of 13.500 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No.25/Akri-2011 dated 07.02.2011 of Collector Distt- Indore for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Mhow, District-Indore are as under:-

1. **Individuals Right** - There are no individual rights on the said land.
2. **Communities Rights** - There are no communities rights on the said land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-25-23/2016/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड, N-24°21'38.1" से N-24°21'49.8" उत्तर अक्षांश तथा E-78°30'53.8" से E-78°31'1.6" पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं।

:: अनुसूची ::

जिला - सागर तहसील - मालथौन
वनमण्डल - उत्तर सागर (सा0) वन परिक्षेत्र - मालथौन

क्रमांक	प्रस्तावित वनखंड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	
1	चनारी	चनारी	छोटा घांस,	177/2, 178/2	1.72 0.28	उत्तर - मुनारा क्रमांक 03 से आरक्षित वनखण्ड मालथौन के कक्ष क्रमांक 102 के मुनारा क्रमांक 278 से 280 तक की वन सीमा। पूर्व - आरक्षित वनखण्ड मालथौन के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 102 के मुनारा क्रमांक 278 से 280 तक मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम - मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	2.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8सी/598/98-एफ.सी.डब्लू/2533 दिनांक 27.02.2002 में अधिरोपित शर्त के अनुसार श्री के.व्ही.एस. गोपाल सागर की स्वीकृत परियोजना फर्शी-पत्थर लीज श्री के.व्ही.एस. गोपाल सागर में प्रभावित 2.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक/1262/खनिज/2006 दिनांक 28.09.2006 से हस्तान्तरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 1262/खनिज/2006 दिनांक 28.09.2006 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

एफ-25-23-2016-दस-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-23-2016-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F-25-23/2016/10-3 :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24°21'38.1" to N-24°21'49.8" North Latitude and E-78°30'53.8" to E-78°31'1.6" East Longitude.

SCHEDULE

District - Sagar Tehsil. - Malthone
Forest Division - North Sagar (T) Forest Range - Malthone

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Chanari	Chanari	Chhota Ghas,	177/2, 178/2	1.72 0.28	North - New Pillar No. 03 to Reserve Forest Block Malthone Compartment No. RF 102 of Pillar No. 278 to 280. East - Reserve Forest Block Malthone Compartment No. RF 102 of Pillar No. 280 to 01. South - New Pillar No. 01 to 02. West - New Pillar No. 02 to 03.
				Total	2.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In Accordance with the condition laid down in Ministry of Environment, Forest and Climate change, Govt. of India's order no. F.No. 8C/598/98-FCW/2533 dated 27/02/2007 and in lieu of 2.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Stone Quarry Lease of Mr. K.V.S. Gopal Sagar of the above mentioned Non Forest Land of 2.00 hectare transferred of muted in favour of M.P. Govt. Forest Department order No. 1262/Mining/2006 Dated 28.09.2006 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Resoans - Nil

(B) The khasra Wise details of recorded right on the above land as per report No. 1262/Mining/2006 Dated 28.09.2006 Revenue Collector are as under.

1. **Individuals Right** - There are not rights of individual
2. **Communities Rights** - There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 26 मार्च 2016

क्र. 913-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	वारासिवनी	बघोली	रकबा 0.121 हे. एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला बालाघाट.	नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन, अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर परियोजना संभाग क्रमांक-3, कटंगी जिला बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. 12.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील त्योंथर, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सोनौरी	51	362.203	1	कटरा	51
2	सोनौरी	51	662.134	2	सीगो	51

क्र. 13.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील त्योंथर, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायपुर	41	453.271	1	टड़हर	51

क्र. 14.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मऊगंज, जिला रीवा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इसके पृथक् किया गया क्षेत्रफल)				राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नम्बर		
(1)				(2)		
क्र.	राजस्व मूल ग्राम का नाम	प.ह.नं.	मूल ग्राम से पृथक् किया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में)	क्र.	नवीन ग्राम का नाम	प.ह.नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नौढ़िया	06	306.036	1	मैरहा टोला	06

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

(देखिए धारा 11)

क्रमांक 33-अ-82-15-16-3059

सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

सार्वजनिक सूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली की परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक-SIA/MP/RIV108876/2016 लंबित है अतः अधिनियम की धारा 6(2) परंतुक के अनुसार पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबत, जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 3200 है। भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

स.क्र.	भूमि का विवरण	कुल खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	रिमाक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निजी भूमि	किता-386	234.44	206.56	
2	शासकीय भूमि	किता-55	170.63	125.46	
योग		441	405.07	332.02	

:: अनुसूची-1 ::

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	3	4	(5)	(6)	(7)
1	नन्हेभाई पिता मानसींग सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	4	1.27	सिंचित	
			10	0.56	सिंचित	
			490	0.59	सिंचित	
2	महीप सींग पिता मान सींग सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	5	0.48	सिंचित	
			9	0.26	सिंचित	
			221	0.09	सिंचित	
3	प्रीतम सिंह बल्द हरी सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	6	0.23	सिंचित	
			224	0.1	असिंचित	
			227	0.49	सिंचित	
			232	0.57	सिंचित	
4	प्रवेश दुलैया बेवा प्रेमसींग बादल अजब सिंह आकाश ना.बा. बल्द प्रेमसिंह बली मां प्रवेश दुलैया पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	7	0.25	सिंचित	
			220	0.37	सिंचित	
			223	0.1	असिंचित	
			226	0.49	सिंचित	

5	गब्बर सींग पिता बीर सींग चन्द्रेश दुलैया बेवा बीर सींग सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	8	0.27	सिंचित
			222	0.09	असिंचित
			225	0.47	सिंचित
6	माखन सींग तुलसीराम भाईरामबाबूसींग शंकर सींग पिता जगन्नाथ सींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	11	1.19	सिंचित
			15	0.3	सिंचित
			20	0.18	सिंचित
7	कुवंर सींग पिता मान सींग सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	12	0.7	सिंचित
8	माखन तुलसीराम भाईराम पिता जगन्नाथ सींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	13	1.19	सिंचित
			18	0.44	सिंचित
9	श्री नंदन पिता जयसींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	14	0.94	सिंचित
			16	0.26	सिंचित
			19	0.17	सिंचित
10	श्री सींग जवाहर सींग पिता हिमांचल सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	21	3.52	सिंचित
11	मुन्नी बाई पति राजकुमार पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/1	1.07	सिंचित
			22/2	0.21	सिंचित
12	जितेन्द्र ना0वा0 पिता बली जगदीश पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	22/3	0.8	सिंचित
			23/2	0.02	असिंचित
			50/2	0.33	सिंचित
13	हरीबाई बेवा गुलाब सचेन्द्र नरेन्द्र ना0वा0 पिता गुलाब वली माँ हरीबाई कृष्णा रविता ना0वा0 वल्द गुलाब वली माँ हरीबाई सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	23/1	0.08	सिंचित
			50/3	0.35	सिंचित
14	जगदीश सिंह पिता करन सिंह सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	24	0.09	सिंचित
			49	1.4	सिंचित
15	लच्छू पिता खानजू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/1	0.64	असिंचित
			32	0.71	सिंचित
16	चुन्नी पिता दुर्जन	भूमिस्वामी	28/2	0.46	सिंचित
			29/1	0.44	सिंचित
17	गोदन पिता दुर्जन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/3	0.45	सिंचित
			29/2	0.45	सिंचित
18	फूल सींग पिता दुर्जन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	28/4	0.23	असिंचित
			29/3	0.22	असिंचित
19	शिवानी पिता माखन लाल पता सा0 भोपाल भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/1	1.1	सिंचित
20	माखन पिता गनेश पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	33/2	0.9	सिंचित
21	हरीराम सुक्के दिब्बा लखन शोभा पिता चेतु पता सा0देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/1	1.35	असिंचित
22	लाल सींग पिता सुक्के सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/3	0.36	असिंचित
23	हरीराम पिता चेतु पता सा0 आफत गंज सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	34/2	0.46	सिंचित
24	रघुवीर शीलाबाई कुसुमबाई परतू किशन पिता रामा	भूमिस्वामी	36	1.22	असिंचित
25	रघुवीर परतू किशन पिता राम अनुजाति पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/1	0.4	असिंचित
26	विनीता पति नरेन्द्र सिंह पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	37/2	0.22	सिंचित
			38	0.67	सिंचित
			39	1.13	सिंचित
27	जानकीबाई बेवा कच्छेदी संतोष कमल रम्पू राजू तुलसीराम पिता कच्छेदी द्रोपती पिता कच्छेदी	भूमिस्वामी	40	4.04	सिंचित

28	पुष्पेन्द्र सिंह चन्द्रभान सिंह जाहर सिंह ना0वा0 बल्द रूपसींग वली अजा हीरासींग पिता सुजान सींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	43	1.87	सिंचित
29	देववती पति गोपाल सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	44	0.31	सिंचित
			61	0.32	सिंचित
			75	0.71	सिंचित
			217	0.12	असिंचित
30	राकेश कुमार राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	45	0.22	सिंचित
			55	4.2	सिंचित
			57	0.47	सिंचित
			72	0.58	असिंचित
			486	0.03	असिंचित
			488	5.44	सिंचित
31	श्रीबाई पति हीरासींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/1	1.13	सिंचित
32	प्यूस ना0वा0 बल्द पुष्पेन्द्र वली अजा हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	46/2	1	असिंचित
			76/2	0.8	सिंचित
33	राजकुमार पिता करन सींग पता सा0 केवलारी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	48	1.43	सिंचित
34	मोहन लाल पिता मिही लाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	50/1	0.64	सिंचित
35	मंजू कुमारी पुत्री कोमलचंद्र पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	53	6.96	सिंचित
			211	0.1	असिंचित
36	मीनाबाई पति विनोद कुमार पता सा0 गंजवासोदा जिला विदिशा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	54	2.06	सिंचित
37	राजेश कुमार पिता कोमल चंद्र सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	56	6.65	सिंचित
			63	1.88	सिंचित
38	सोहन गुड्डा पिता बल्ला पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/1	0.01	सिंचित
			212/1	0.02	असिंचित
			213/1	0.01	असिंचित
			218/1	0.04	असिंचित
			682/1	0.21	असिंचित
			682/2	0.17	असिंचित
39	छुट्टी पिता बिहारी सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/1	0.7	असिंचित
40	प्रभाबाई पति अमोल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	59/2	0.61	सिंचित
			94/2	0.4	सिंचित
			94/2	0.4	सिंचित
41	गौरी तुलैया पिता हल्का पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	60/1	0.65	सिंचित
42	धनबाई वेबा निरपत दीना सुखराम अमोल शोभाराम पिता निरपत सवित्री शीलाबाई वती दशोदा पुत्री निरपत सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	60/2	0.65	असिंचित
43	लीलाधर काशीराम बाबू पिता रम्मू फूलाबाई संगीता पुत्री रम्मू सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त आहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	62/1	0.73	असिंचित
44	मल्ला पिता शेवलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	62/2	0.72	असिंचित

45	गनपत पिता रेवा पता सा0 सेवा खातेदार	सेवा भूमि	64	1.28	असिंचित
			676	0.38	असिंचित
			680	0.32	असिंचित
46	आशाराम मूंगाबाई पिता भिदूलाल कल्लोबाई बेबा भिदूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	65/1	0.62	असिंचित
47	तुलसी भरोसी पिता भीकम पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	65/2	0.62	असिंचित
48	प्यारीबाई बेवा कन्छेदी देवी मंगल पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	65/3	0.94	असिंचित
49	अनुरुद्ध सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा0 खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/1	0.24	सिंचित
			70/2	0.14	सिंचित
50	वीरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ पता सा0 खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/2	0.23	सिंचित
			70/3	0.14	असिंचित
51	राजेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा0 खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/3	0.24	सिंचित
			70/4	0.15	असिंचित
52	नरेन्द्र सिंह पिता बैजनाथ सिंह पता सा0 खैजरामाफी भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	69/4	0.23	सिंचित
			70/1	0.14	सिंचित
53	रामजी पिता रतन सिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	71	0.58	असिंचित
54	नीलेश सतनारायण ना0बा0 बल्द व वली सुदामा वल्द रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	74/1	2.16	सिंचित
55	बैजनाथ पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	74/2	0.19	सिंचित
			74/3	1.02	सिंचित
			104/2	0.2	सिंचित
			109	1.18	सिंचित
56	हीरासींग पिता सुजानसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	76/1	0.85	सिंचित
			215	0.02	असिंचित
			216	0.08	असिंचित
57	आशाराम पिता भिदूलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	77/3	1	असिंचित
58	संतोषरानी पति नन्देभाई पता सा0 मनक्याई भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	77/4	1	असिंचित
59	दुर्जन पिता पंचे सियारानी पति दुर्जन भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/5	1	असिंचित
60	रतनसींग कोमल सींग पिता दुन्दे पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	81	0.28	सिंचित
			84	0.85	सिंचित
61	गोरेलाल पिता दलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	82	0.85	सिंचित
62	गोरेलाल कुवरबाई रामवती पिता दलू धरमाबाई बेवा दलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	83	1.62	सिंचित
63	रामकृष्ण ना0वा0 बल्द गोरेलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	85	0.37	सिंचित
64	मथुराबाई बेवा चैतू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	86	0.5	सिंचित
65	बब्बू दुर्जन पिता पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/1	0.03	असिंचित
66	कमलरानी पति नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89/5	0.03	सिंचित
67	संतोष ग्याबाई पिता पंचू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/1	0.73	सिंचित
68	प्रवेशरानी पति जयसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	95/2	0.2	असिंचित

69	प्रभाबाई पति अमोल कुन्दन हल्लू पिता संतोष पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97/1	0.09	सिंचित
70	कस्सी पिता पिरूवा सविता पुत्री पूरन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	97/2	0.06	सिंचित
71	काशी पिता पिरूआ पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	98	1.21	सिंचित
72	प्रभाबाई पति किशन पता निवासी ग्राम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	100	0.12	असिंचित
73	नरबदी पिता रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/1	0.34	सिंचित
			121/2	0.49	सिंचित
74	चित्तर पिता रूपसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/2	0.35	असिंचित
			121/3	0.49	असिंचित
			125/8	0.25	असिंचित
			113/4	0.12	असिंचित
			124/6	0.1	असिंचित
			114/4	0.45	सिंचित
			114/7	0.18	सिंचित
			123/6	0.19	असिंचित
75	सन्नू पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	104/1	0.98	सिंचित
76	मुन्ना पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	105	0.2	सिंचित
			107	0.3	सिंचित
77	राधारानी पत्नि बैजनाथ पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	106	1.21	सिंचित
78	बैजनाथ मुन्ना रल्ली सन्नू पिता छोटेलाल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	110	1.18	सिंचित
79	रल्ली पिता छुट्टी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	108	1.18	सिंचित
80	जीवन पिता मनघत पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासन से पट्टे पर प्राप्त	111	1.35	सिंचित
81	घसीटे पिता घनश्याम पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त भूमि अहस्तांतरणीय	शासन से पट्टे पर प्राप्त	112	0.8	सिंचित
82	तेजाबाई बेवा पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/1	0.4	सिंचित
83	नरबदी बल्द रूपसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/2	0.12	सिंचित
84	किशन पिता रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/3	0.35	सिंचित
			113/3	0.12	सिंचित
			114/3	0.45	सिंचित
			114/8	0.18	सिंचित
			121/1	0.49	सिंचित
			123/4	0.19	सिंचित
			124/4	0.2	सिंचित
			124/8	0.1	सिंचित
85	मुन्ना पिता रूपसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	101/4	0.35	सिंचित
			113/5	0.12	सिंचित
			114/1	0.45	सिंचित
			114/6	0.18	सिंचित
			121/4	0.48	सिंचित
			123/1	0.18	सिंचित
			123/2	0.06	सिंचित
			123/7	0.09	सिंचित
			124/1	0.2	सिंचित

			124/2	0.1	सिंचित
			124/7	0.07	सिंचित
			125/4	0.25	सिंचित
			125/9	0.12	सिंचित
86	इमरत पिता पंचा पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/22	0.13	सिंचित
			114/10	0.05	असिंचित
			120/1	0.02	सिंचित
			126/1	0.01	सिंचित
87	चंदा पति कोमल राठौर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/7	0.22	सिंचित
88	अमोल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/8	0.15	सिंचित
			114/13	0.05	सिंचित
			120/4	0.02	असिंचित
			126/4	0.01	असिंचित
89	गोपाल सींग पिता हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/4	0.01	असिंचित
			212/4	0.01	असिंचित
			213/5	0.01	असिंचित
			218/5	0.03	असिंचित
			682/8	0.05	असिंचित
			682/9	0.18	असिंचित
			682/7	0.25	असिंचित
			682/10	0.4	असिंचित
			664	0.04	असिंचित
			666	0.18	सिंचित
90	अमनसींग ना०वा० बल्द राजासींग अनीताबाई बेवा राजासींग बली चाचा उदयसींग बल्द हिमाचल पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	116	0.81	असिंचित
91	प्यारे पिता पंचे पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासन से पट्टे पर प्राप्त	117	1.35	सिंचित
92	कृष्णाबाई बेवा रामसींग पता सा० देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि		119	1.36	सिंचित
93	माखन पिता नरबदी पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.06	सिंचित
			123/5	0.18	सिंचित
			124/3	0.08	सिंचित
			124/5	0.1	सिंचित
			125/2	0.29	सिंचित
			125/5	0.12	सिंचित
			125/7	0.24	सिंचित
94	सीताबाई बेवा रूपसींग चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिता रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	127	0.11	सिंचित
95	खिलान पिता नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/1	1.63	सिंचित
96	मुलायम पिता नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/2	1.59	सिंचित
97	सुखराम पिता नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	130/3	0.17	सिंचित
			132/1	1.42	सिंचित
98	मेहताब पिता नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	132/2	1.59	सिंचित
99	कुंवर पिता नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	140/1	1.01	सिंचित
			132/3	0.58	सिंचित
100	अबधरानी बेवा नथू द्रोपदी कृष्णा भागबाई कौशिल्या नेकीबाई पुत्री नथू सा० चारटोरिया	भूमिस्वामी	143	0.65	सिंचित
101	गीताबाई पति घनश्याम पता सा० चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	134	1.03	सिंचित

102	घनश्याम निर्भयसिंग उर्फ नारायण पिता बालकिशन पता सा0 चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	135	0.83	असिंचित
103	सीताराम नन्हेभाई कुंवर सुशीला हेमाबाई पिता गोटीराम घनश्याम निर्भय पिता बालकिशन मीरा राजबाई कुंवर बाई पुत्री बालकिशन अमरसिंह पिता कडोरी हरिनारायण रामेश्वर चंदन श्रीराम पिता रतन चन्द्रभान कृष्णमुरारी भगतसिंग गोरीशंकर सोहन व मोहनसिंग ना0वा0 पिता मुल्ले वली खुद मॉ सियारानी बेवा मुल्ले पता निवासी ग्राम चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140/2 136	1.33 0.37	सिंचित असिंचित
104	नरान फूलबाई पि0 भैयाराम रामटेकवारी बेवा भैयाराम मजबूत चैतू धनीराम वतीप्यारीबाई पिता उदयभान पता सा0 चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	140/3	0.71	सिंचित
105	रगवर पिता कच्छेदी पता सा0 चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	141	3.48	सिंचित
106	परसू पति मंजू पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	142	1.38	असिंचित
107	मानसिंग पिता दुरगसिंग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	219	0.38	सिंचित
108	महेश पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/1	0.4	सिंचित
109	जितेन्द्र पिता गोठल कमलेशरानी बेवा गोठल पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	228/2 230/1	0.21 0.19	सिंचित सिंचित
110	धनसिंग पिता कच्छेदी पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	229	0.6	सिंचित
111	राजाराम पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	230/2	0.41	सिंचित
112	सरोजनी पति प्रीतम पता सा0 देह भूमि	भूमिस्वामी	231/1	0.16	सिंचित
113	संतोषरानी पिता मुन्ना पता सा0 देह भूमि	भूमिस्वामी	231/2	0.42	असिंचित
114	आलम पिता रतन चन्द्ररानी पति आलम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/4	1	असिंचित
115	कमलेश पिता दिब्बा उषा पति कमलेश पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/5	1	सिंचित
116	बुद्ध पिता रेबा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/6	1	असिंचित
117	खचोरी पिता तुलई पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/7	0.4	सिंचित
118	पर्वती उर्फ कमलरानी पति बैजनाथ सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	265/15 265/16	0.4 0.2	असिंचित असिंचित
119	लालसिंग पिता मंगल कौशिल्या बाई पति लालसिंग पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/8	1	सिंचित
120	मंगल पिता कच्छेदी अशोकरानी पति मंगल पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/9	1	सिंचित
121	प्रहलाद पिता गनेश कंचनबाई पति प्रहलाद पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/10	1	सिंचित
122	कलू पिता हल्का नन्नीबाई पति कलू पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/11	1	सिंचित
123	मोहन पिता हीरालाल कुसमरानी पति मोहन पता सा0 देह भूमि स्वामी शासन से प्राप्त अहस्तांतरणीय भूमि	शासकीय पट्टे पर प्राप्त	265/12	1	असिंचित
124	गजराज सिंग पिता कमोद सिंग महीपसिंग पिता मानसिंग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	481	1.86	सिंचित
125	मानसिंग पिता दुरगसिंग प्रवेश दुलैया बेवा प्रेमसिंग बादल अजबसिंह आकाश ना0बा0 वल्द प्रेमसिंग वली मॉ प्रवेश दुलैया पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	482	3.63	सिंचित

126	ब्रजकिशोर पिता ओंकार प्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	483	0.09	असिंचित
127	राकेशकुमार पिता कोमलचंद्र पता सा0 सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	485	1.91	सिंचित
			683	3.78	सिंचित
128	राजकुमारी पति धन्यकुमार पता सा0 छिन्दवाडा भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	487	3.67	सिंचित
129	वैजनाथ पिता शंकर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/1	0.15	सिंचित
130	पार्वती वाई पति वैजनाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	233/2	0.16	सिंचित
			233/3	0.16	सिंचित
131	अविरल वल्द राकेशकुमार पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/2	3.14	सिंचित
132	राजेश कुमार पिता सुरेश चंद्र पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	478/2	0.05	सिंचित
133	हकूम चंद पिता पूरन चंद पता सा.सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/1	2.63	सिंचित
134	सूनिल कुमार पिता सुरेश जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	479/2	3.41	असिंचित
135	कुंवर सिंह पिता मान सिंह बशरह नं.-12	भूमिस्वामी	489	1.25	सिंचित
136	शोभा पति राकेश कुमार बशरह नं.58/2	भूमिस्वामी	684	0.4	सिंचित
			58/2	0.27	
137	ओमकार प्रसाद पिता दया प्रसाद बशरहा नं.362	भूमिस्वामी	681	0.33	सिंचित
138	इन्दर सींग पिता रतन सींग पता सा.देह भूमि स्वामी महाराजसींग पिता बहादुरसींग पता सा.देह	भूमिस्वामी	77/824	0.3	असिंचित
139	सिंगारदुलैया बेबा रघुराजसींग रजेश्री बा. प्रदीपसिंह सरला ना.बा.पिता रघुराज बली मां संगारदुलैया बशरह नं. 192	भूमिस्वामी	77/825	0.24	असिंचित
140	शांतिबाई बेबा रतन सिंह रघुराज मलखान इंद्र रामजी मालती जानकी रामराज बल्द रतनसिंह भू स्वामी महाराज सिंह पिता बहादुर सींग लक्ष्मण अमरसींग पिता खिलान भू स्वामी विजयसींह पिता मोहन सिंह पता केवलारी भूमि स्वामी सिंगार दुलैया बेबा रघुराज राजेश्री बा0 प्रदीप सिंह सरला ना0बा0 बल्द रघुराज बली मां सिंगार दुलैया पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	77/826	0.48	असिंचित
141	रामदास हेमंत विं.परमलाल राठौर पता सा.नेहानगर मकरोनिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	94/1	0.2	सिंचित
142	विजय सिंह वल्द हिमांचल पता बशरह नं.113/9	भूमिस्वामी	115	1.38	सिंचित
143	कुन्दन हल्लू पिता संतोष सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/6	0.22	सिंचित
			120/2	0.02	असिंचित
			126/2	0.01	असिंचित
			113/8	0.13	सिंचित
			114/11	0.05	सिंचित
144	जय सिंह पिता पंचा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/9	0.21	असिंचित
			113/23	0.06	असिंचित
			113/16	0.14	असिंचित
			114/17	0.05	असिंचित
			120/8	0.03	असिंचित
			126/8	0.01	असिंचित
145	अनिल कुमार पिता हुकुमचंद्र जैन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/15	0.14	असिंचित
			114/12	0.05	असिंचित
			126/3	0.01	असिंचित

146	पप्पू पिता पंचा सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/10	0.21	असिंचित
			120/3	0.02	असिंचित
147	महेन्द्र पिता पंचा सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/12	0.21	सिंचित
			113/21	0.14	सिंचित
			114/15	0.05	सिंचित
			120/6	0.02	असिंचित
			126/6	0.02	असिंचित
148	चित्तरसींग किशनसींग नरबदी मुन्ना पिस. रूपसींग पता सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/5	0.6	सिंचित
149	प्राग पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/11	0.21	असिंचित
			113/17	0.08	असिंचित
			114/14	0.05	असिंचित
			120/5	0.02	असिंचित
			126/5	0.01	असिंचित
150	कोमल पिता पंचा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	113/13	0.21	सिंचित
			113/14	0.06	सिंचित
			113/19	0.14	सिंचित
			113/20	0.14	सिंचित
			114/16	0.05	सिंचित
			120/7	0.02	असिंचित
126/7	0.01	असिंचित			
151	नरवदी पिता रूपसिंह सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	114/2	0.45	
			114/9	0.18	सिंचित
152	माखन पिता नरवदी सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	123/3	0.06	सिंचित
153	किशन पिता रूपसिंह सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	125/6	0.25	सिंचित
154	हीरा पिता गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	58/3	0.01	असिंचित
			682/3	0.7	असिंचित
			218/3	0.03	असिंचित
			213/3	0.01	असिंचित
			212/2	0.02	असिंचित
			682/4	0.17	असिंचित
155	बल्ला गुलई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	218/4	0.03	असिंचित
			682/5	0.7	सिंचित
			212/3	0.01	असिंचित
			213/4	0.01	असिंचित
			682/6	0.18	सिंचित
156	टन्दू संतोष पिता लालसींग अमान पिता नन्धू गनपत बब्बू गडडू विन्नाबाई पिता रेवा गोलू ना०वा० पिता रामजी बली माँ लक्ष्मीबाई बेवा राजेशकुमार सा० केवलारी	भूमिस्वामी	675	0.15	असिंचित
157	राकेशकुमार राजेश कुमार पिता कोमलचंद्र पता सा० सागर भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	662	0.3	सिंचित
			670	0.44	असिंचित
158	गजराज सींग सुरजबाई कलीबाई पिता कमाद सींग रामराज सींग शेरसींग रचना पिता भगवान सींग सा० देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	669	0.2	असिंचित

159	बम्होरी बारी बेवा परमू पता सा0 देह भूमि	भूमिस्वामी	59/3	0.7	असिंचित
160	बेनीबाई वेबा मंजू सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	133	1.37	असिंचित
161	ममतारानी पति प्रानसींग सपनारानी पति पारीक्षत पता चारटोरिया भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	137	0.4	
162	दुरगा पिता गनेश सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	678	0.38	असिंचित
			533	0.3	सिंचित
			532	0.24	सिंचित
			531	0.35	सिंचित
163	सीतारानी बेवा शिवदयाल दुर्गाबाई पवन पिता शिवदयाल सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	534/1	0.29	असिंचित
			538	0.06	सिंचित
164	मुन्ना पिता टीकाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	534/2	0.01	सिंचित
165	परषोत्तम रगराज मोहन गनेश कल्लोबाई हल्कीबाई पिता गनेश सदारानी बेवा गनेश हरीसींग हरीराम रतीराम पिता करनसींग सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/1	0.1	सिंचित
			431/1	0.08	असिंचित
166	राम शंकर पिता सुरजप्रसाद पता निवासी देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/2	0.03	सिंचित
			431/2	0.05	असिंचित
167	रतीराम बल्द करनसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	430/5	0.17	असिंचित
			431/3	0.02	असिंचित
			437	0.06	
168	रामकुवर पिता गनेश सा0 देह	भूमिस्वामी	535	0.06	असिंचित
			435	0.01	असिंचित
169	कांतिबाई पति मुन्ना सा0 देह	भूमिस्वामी	536	0.06	सिंचित
			539	0.06	सिंचित
			627	0.2	सिंचित
			433	0.01	सिंचित
			436	0.01	सिंचित
170	रमेश सिंह पिता श्रीसिंह सा0 देह	भूमिस्वामी	537	0.06	सिंचित
			438	0.01	असिंचित
			434	0.01	असिंचित
171	टीकाराम बल्द धरनीधर	भूमिस्वामी	540	0.22	सिंचित
			432	0.01	असिंचित
172	चंदाबाई पति राकेश पाण्डेय पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	626/3	0.33	सिंचित
173	सुरेन्द्र पिता लक्ष्मन सींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	528	0.08	सिंचित
174	रामप्रसाद पिता अनंदा पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	529	0.52	सिंचित
175	राधारानी पति चिन्तामन पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	522/1	0.28	सिंचित
176	किशोरी पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	522/2	0.28	असिंचित
177	राजसिंह पिता श्रीसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	642	0.45	सिंचित
			650	0.07	सिंचित
			654	0.38	सिंचित
178	नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	652	0.37	सिंचित
179	सियारानी बेवा सूरतसींग अशोक अमोल बेनीबाई गीताबाई पिता सूरतसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	653	0.13	सिंचित

180	जाहरसींग पिता श्रीसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	655	0.09	सिंचित
			661	0.15	सिंचित
			807	0.68	असिंचित
181	सरोजबाई पिता रामप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	511	0.04	असिंचित
182	राजाराम पिता रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	659/1	0.08	असिंचित
			658/1	0.15	असिंचित
183	सुदामा वल्द रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	658/2	0.02	असिंचित
			659/2	0.26	असिंचित
184	श्रीराम वल्द रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	659/3	0.26	असिंचित
185	बाबूलाल हरपाल सिंह पिता विशानसिंह पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	513	0.08	सिंचित
186	महेन्द्रसींग छोटेसींग पिता जगतसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	514	0.39	सिंचित
187	सेवक धनश्याम चंद्रेश प्रेम पिता सद्दू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	515	0.13	असिंचित
188	नन्हेवीर पिता खिलानसींग पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	516	0.12	सिंचित
189	रामराज सिंह पिता लक्ष्मणपता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	517	0.1	सिंचित
			521	0.3	असिंचित
190	श्रीमती चन्द्ररानी पति मुलू पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	518/2	0.05	असिंचित
191	रूपराजसिंह पिता हीरासिंह	भूमिस्वामी	663	0.09	असिंचित
			665	0.28	सिंचित
192	रामप्रभू पिता हरीराम	भूमिस्वामी	778/1	0.09	सिंचित
193	कमल पिता हरीराम	भूमिस्वामी	778/2	0.1	असिंचित
194	लालसींग पिता मोती	भूमिस्वामी	782	0.14	सिंचित
195	श्रीराम पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/1	0.03	सिंचित
196	प्रकाश पिता रामप्रसाद पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/2	0.18	सिंचित
197	चन्द्ररानी पति राजाराम पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/3	0.08	सिंचित
198	सुन्दर पिता रामप्रसाद सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	808/4	0.16	सिंचित
199	श्रीमहावीर जी स्वामी मुह0 परबोलाल महेश कुमार पि. रामप्रसाद राजरानी बेवा रामप्रसाद प्रबं. कलेक्टर सागर पता सा0 देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	235	0.45	सिंचित
200	जितेन्द्र ना0वा0 वल्द वली गोपाल सिंह पिता हीरासिंह पता ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	677	0.4	असिंचित
योग:-			378	201.56	
2 प्रतिशत अतिरिक्त:-			08	5.00	
महायोग:-			386	206.56	

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों का पालन करते हुये ही अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संवयवहार नहीं करेगा या कोई भी संवयवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60

(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

परियोजना के अधीन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु धारा 43(1) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अपेक्षक निकाय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर नियुक्त प्रशासक को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. 4011-वित्त-1-2016.—इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है. शेष कार्य विभाजन पूर्वानुसार रहेगा:—

(01) श्री धनराजू एस. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी.—

(क) राजस्व : 1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत मूल एवं पुनर्विलोकन के प्रकरण.

2. मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर की अधिकारिता के प्रकरण.

3. राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.

4. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 के नियम 2000 के अन्तर्गत कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.

5. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.

(ख) दांडिक : 1. दण्ड प्र. सं. 1973 के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी की क्षेत्राधिकारिता के सभी प्रकरण.

2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 एवं म. प्र. सुरक्षा, अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.

3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण.

4. शस्त्र अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित जिला दण्डाधिकारी के अधिकारिता के सभी प्रकरण.

5. जिला दण्डाधिकारी की हैसियत से संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने का कार्य.

6. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत सभी प्रकरण.

7. अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग.

(ग) विविध : 1. जिला निर्वाचन अधिकारी-केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.

2. अन्य विभागों से संबंधित ऐसे समस्त कार्य जिनमें कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक हो.

(02) श्री जे. समीर लकरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी,—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी/प्रभारी अधिकारी विकास शाखा.
2. पदेन अपर संचालक, शिक्षा/पदेन अपर आयुक्त, आदिवासी विकास.
3. प्रभारी अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग.
4. कलेक्टर की अनुपस्थिति में जिला अधिकारियों को अवकाश स्वीकृति एवं बैठकों की अध्यक्षता करना.

जिले में प्रारंभ किये गये निम्नलिखित विशेष अभियानों के नोडल अधिकारी.—

1. निर्मल भारत अभियान
2. जल संरक्षण
3. स्वास्थ्य कार्यक्रम-दीनदयाल उपचार योजना एवं धन्वन्तरी योजना/सामुदायिक चलित स्वास्थ्य सेवा
4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(03) श्री सुनील दुबे, अति. कलेक्टर एवं अति. जिला दण्डाधिकारी, सिवनी.—

(क) राजस्व:—

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत सिवनी जिले के सभी अनुभाग के अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण.
2. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा अंतरित अन्य प्रकरण.
3. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अन्तर्गत अपर कलेक्टर की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण.
4. कोर्ट फीप स्टाम्प चस्या की गयी राशि की वापसी के समस्त प्रकरण.
5. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत प्रकरण.
6. मध्यप्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रकरण.
7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व 1959 की धारा 240, 241 के प्रकरण.
8. गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने/काटने से संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम एवं द्वितीय अपील के प्रकरण.
9. जाति प्रमाणपत्र-लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बनने वाले जाति प्रमाणपत्र की अपील.

(ख) विविध : —

1. विशेष विवाह अधिनियम/हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह अधिकारी.
2. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी.
3. प्रभारी अधिकारी-आबकारी शाखा/खनिज शाखा/खाद्य शाखा/लायसेंस शाखा- (गन लायसेंस का नवीनीकरण).
4. लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्नों के लिये नोडल अधिकारी.
5. माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण से संबंधित तैयारियों के नोडल अधिकारी.
6. सभी अधिकारियों की दौरा डारियों के अनुमोदन.
7. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अवकाश स्वीकृत करना.
8. सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान वेतनमान प्रदाय संबंधी कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी.
9. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(04) श्री सतीश कुमार एस. अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी केवलारी—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, केवलारी
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम केवलारी

3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, केवलारी
4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी केवलारी
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र केवलारी

प्रभारी अधिकारी :

1. नवाचार एवं पी.पी.पी. मोड की समस्त परियोजनाएं एवं नये प्रस्ताव के नोडल अधिकारी.
2. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना लखनादौन.
3. परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सिवनी.
4. प्रभारी अधिकारी, कालोनी प्रकोष्ठ.
5. सचिव, सिवनी टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल सिवनी.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(05) श्रीमती ऋजु बाफना, सहायक कलेक्टर, सिवनी : प्रभारी अधिकारी—

1. लोक सेवा प्रबंधन शाखा/ई. गवर्नेस सोसायटी शाखा.
2. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
3. शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग (निर्माण छोड़कर)
4. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(06) श्री व्ही. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी सिवनी—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिवनी (सिवनी तहसील)
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम सिवनी (सिवनी तहसील)
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी सिवनी (सिवनी तहसील)
4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी (सिवनी तहसील)
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र (सिवनी तहसील)

प्रभारी अधिकारी—

1. जिला सत्कार अधिकारी, जिला-सिवनी.
2. नजूल शाखा/नाजरात शाखा.
3. प्रस्तुतकार, राजस्व मोहर्रर (कलेक्टर न्यायालय).
4. प्रपत्र एवं लेखन सामग्री शाखा तथा प्रेषक एवं मुद्रण शाखा.
5. प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकरण सिवनी.
6. राज्य परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की समस्त व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी.
7. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(07) श्री आई. जे. खलखो, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी बरघाट—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बरघाट
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम बरघाट
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी बरघाट
4. भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी बरघाट.
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र बरघाट

प्रभारी अधिकारी—

1. विभागीय जांच शाखा/मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा.
2. सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा/राजस्व शाखा.
3. समाधान आन लाइन/जनसुनवाई.
4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/शिकायत/जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ.
5. मान. मंत्री, सांसद, विधायकगणों/लोकायुक्त संगठन/मानव अधिकार आयोग/अन्य आयोगों से प्राप्त पत्रों का निराकरण.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(08) श्री लारेंस केरकट्टा, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी घंसौर—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, घंसौर.
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम घंसौर सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी घंसौर
3. भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र घंसौर
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(09) श्री के. सी. परते, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी कुरई—

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (कुरई तहसील)
2. लोक परिसर बेदखली अधिनियम (कुरई तहसील)
3. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी (कुरई तहसील)
4. भू-अर्जन अधिकारी, (कुरई तहसील)
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयक/लोक न्याय क्षेत्र कुरई तहसील
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य

प्रभारी अधिकारी—

1. अधिक अन्न उपजाओं शाखा/सिविल सूट शाखा
2. राजस्व लेखापाल एवं राहत शाखा.
3. जिला जेल/नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड/सांख्यिकी शाखा.
4. वित्त/स्थापना शाखा.
5. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

(10) श्री राकेश मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी, सिवनी लखनादौन.

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, लखनादौन.
2. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयक/लोक न्यास क्षेत्र लखनादौन.
3. लोक परिसर बेदखली अधिनियम लखनादौन.
4. सत्कार एवं भाड़ा नियंत्रण अधिकारी लखनादौन.

5. भू-अर्जन अधिकारी, लखनादौन.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

11. श्री विरेन्द्र सिंह डांगी, डिप्टी कलेक्टर—

प्रभारी अधिकारी—

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, केन्द्रीय निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन.
2. वरिष्ठ लिपिक शाखा
3. कर्मचारी कल्याण/अल्प बचत शाखा/आडिट शाखा.
4. सूचना के अधिकार एवं लोक सूचना अधिकारी तथा सिटीजन चार्टर शाखा.
5. भू-अभिलेख/वन राजस्व भूमि सीमा विवाद.
6. कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्नानुसार अधिकारी लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे:—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	प्रथम लिंक आफिसर (3)	द्वितीय लिंक आफिसर (4)
1	श्री जे. समीर लकरा	श्री सुनील दुबे	श्री सतीश कुमार एस
2	श्री सुनील दुबे	श्री जे. समीर लकरा	श्री व्ही. पी. द्विवेदी
3	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री के. सी. परते	श्री आई. जे. खलखो
4	श्री आई. जे. खलखो	श्री के. सी. परते	श्री विरेन्द्र सिंह डांगी
5	श्री के. सी. परते	श्री व्ही. पी. द्विवेदी	श्री विरेन्द्र सिंह डांगी
6	श्री विरेन्द्र सिंह डांगी	श्री के. सी. परते	श्री व्ही. पी. द्विवेदी

नोट—1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियां अपर कलेक्टर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी.

2. सर्व अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी वन व्यवस्थापन तथा वन-राजस्व सीमा विवाद से संबंधित प्रकरण तैयार कर निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रेषित करेंगे—

- 2.1 सिवनी, कुरई, केवलारी एवं बरघाट के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सिवनी.
- 2.2 लखनादौन, धनोरा, घंसौर एवं छपारा के लिए अनुविभागीय अधिकारी, लखनादौन.
3. समाधान ऑन लाईन हेतु प्राप्त शिकायतें सीधे कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेंगी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

धनराजू एस, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

**OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE ITARSI
AAYAKAR BHAWAN, MGM COLLEGE ROAD, NYAS COLONY, ITARSI (M.P.)-461111**

Notification

Bhopal, the 13th April 2016

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22.10.2014, Order Nos. 31, 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), MP & CG, Bhopal, the Notification issued by Commissioner of Income tax, Bhopal-1 in F. No. CIT-1/BPL/Tech/(Jurisdiction)/2014-15/982, dated 15.11.2014 and in pursuance of Notification issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal in F. No. Pr. CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and its Corrigendum dated 12.04.2016 and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner of Income tax, Range-Itarsi directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in column (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961.

2. This Notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Head quarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/ Assistant Commissioner of Income Tax, Circle, Itarsi	Itarsi, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) Districts of Hoshangabad, Harda and Betul	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);	(a) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.

				<p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the areas mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs.</p>
2	Income Tax Officer -1, Itarsi	Itarsi, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh Itarsi, Seoni Malwa, Dolaria Tehsils of Hoshangabad District	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Hoshangabad District;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose names begin with the Alphabets 'A' to 'M' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs.</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p>

3	Income Tax Officer -2, Itarsi	Itarsi, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh Hoshangabad, Babai, Sohagpur, Pipariya, Panchmari and Bankhedi Tehsils of Hoshangabad District	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Hoshangabad District;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose names begin with the Alphabets 'N' to 'Z' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs.</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p>
4	Income Tax Officer -1, Harda	Harda, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh Harda, Handia & Rahatgoan Tehsils of Harda District	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);</p>	<p>(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose names begin with the Alphabets 'A' to 'M' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs.</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.</p>

				<p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Harda District;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income are upto Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p>
5	Income Tax Officer -2, Harda	Harda, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh Timarni, Khirkiya and Sirali Tehsils of Harda District	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Harda District;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose names begin with the Alphabets 'N' to 'Z' and in whose case income/loss as per latest return of income upto Rs. 20 lakhs.</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p>

6	Income Tax Officer, Betul	Betul, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh. Betul District	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Betul District;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs.</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.</p>
---	----------------------------------	-----------------------	--	--	---

Explanation:-

For the purposes of this Notification-

- (i) "Residing" means,-
- (a) In the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification:
- (b) In the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and
- (c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where the head office is located.

(ii) In cases of companies whose names begin with any of the numerals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different Assessing Officers, the Assessing Officer having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.

(iv) The Assessing Officer holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the Assessing Officer who appears first in this Notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.

(v) The word 'persons' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of section-2 of Income-tax Act, 1961.

— sd —

(MAYA MAHESHWARI)
Additional Commissioner of Income-tax
Range, Itarsi

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-1
'Aayakar Bhawan', Hoshangabad Road, Bhopal (M.P)- 462011

NOTIFICATION
Bhopal, dated 13/04/2016

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22.10.2014, Order Nos. 31, 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), MP & CG, Bhopal, the Notification issued by Commissioner of Income tax, Bhopal-1 in F. No. CIT-1/BPL/Tech/ (Jurisdiction)/2014-15/982, dated 15.11.2014 and in pursuance of Notification issued by Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal in F. No. Pr. CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and its Corrigendum dated 12.04.2016 and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner of Income tax, Range-1, Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in column (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961.

2. This Notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Head quarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/ Assistant Commissioner of Income Tax, 1(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered	(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of State Government or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's Secretariat in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs.
				office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	<u>Some special cases</u> i. The Hon'ble Governor of Madhya Pradesh. ii. All Ministers including Chief Minister, Ministers of State, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries of Government of Madhya Pradesh, Leader of Opposition, Speaker, Deputy Speaker and their attached staff. (b) all cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' in whose cases income/loss as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal - Ward Nos. 22 to 33 & 44 .	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs.

			(c) Mandideep Industrial area of Raisen District;	(f) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4). (g) persons being individuals referred to in item (f) of column (6.)	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'A' to 'M' and in whose case income/loss as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (e) of column (6) above.
					Any residual case falling within the territory of jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax-I, Bhopal, not specifically covered in the jurisdiction of any Assessing Officer of Range-1, Bhopal, Range- 2, Bhopal & Itarsi-Range, Itarsi
2	Income Tax Officer -1(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal -Ward Nos. 22 to 27	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.

			(c) Mandideep Industrial area of Raisen District;	(e) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons being individuals referred to in item (e) of column (6.)	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (e) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'A' to 'M' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (d) of column (6) above
3	Income Tax Officer -1(2), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'C' or 'D' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal -Ward No. 44	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.
4	Income Tax Officer -1(3), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'E' or 'F' and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs.

				(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.);	(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal - Ward Nos. 28 to 30	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.
5	Income Tax Officer -1(4), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.);	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'G' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal - Ward Nos. 31 to 33	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.

6	Income Tax Officer -1(5), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of State Government or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's Secretariat in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.
---	---	------------------------	--	--	---

Explanation:-

For the purposes of this Notification-

(i) "Residing "means,-

(a) In the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification:

(b) In the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and

(c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where the head office is located.

(ii) In cases of companies whose names begin with any of the numerals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different Assessing Officers, the Assessing Officer having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.

(iv) The Assessing Officer holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the Assessing Officer who appears first in this Notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.

(v) The word 'persons' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of section-2 of Income-tax Act, 1961.

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule-1 of this Notification are as per Notification No. 3222/ sa.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette(Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.

— sd —

(MAYA MAHESHWARI)
Additional Commissioner of Income-tax
Range -1, Bhopal

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-2
'Aayakar Bhawan', Hoshangabad Road, Bhopal (M.P)- 462011

NOTIFICATION
Bhopal, dated 13/04/2016

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22.10.2014, Order nos. 31, 32 & 33 of 2014-15 dated 15.11.2014 of the Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), MP&CG, Bhopal, Notification in F. No. CIT-1/BPL/Tech/ (Jurisdiction)/2014-15/982 dated 15.11.2014 of the Commissioner of Income-tax, Bhopal-1 and all other powers enabling in this behalf and in pursuance of Notification in F. No. Pr. CCIT/BPL/Tech/ Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 of the Principal Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal, the Additional Commissioner of Income tax, Range-2, Bhopal, hereby, directs that the Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col. (2) of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases assessable by or falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of any other order(s) including order(s) u/s 127 of the Income-tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from 15th April, 2016.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax 2(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4)	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of BHEL, Bhopal and in whose cases income/loss shown in latest return of income is above Rs. 15 lakhs (b) all cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' and in whose cases income/loss shown in

				(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation , Bhopal -Ward Nos 42 to 52, except Ward No. 44. (ii) Kolar Municipality , Bhopal. (iii) District of Bhopal – Remaining part (i.e. other than area of Bhopal Municipal Corporation and Kolar Municipality) of Huzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner / Commissioner of Income Tax , Bhopal -1 & 2	(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary" and in whose cases income/ loss shown in latest return of income is above Rs. 15 lakhs.
			(c) Mandideep Industrial area of Raisen District;	(f) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4) (g) persons being individuals referred to in item (f) of column (6.)	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'N' to 'Z' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (e) of column (6) above.

2	Income Tax Officer 2(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'H' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal -Ward Nos 42 & 43	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
			(c) Mandideep Industrial area of Raisen District;	(e) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4) (f) persons being individuals referred to in item (e) of column (6)	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (e) of Column (5) whose names begin with the alphabet 'N' to 'Z' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (d) of column (6) above.
3	Income Tax Officer 2(2), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabets 'I' or 'J' and in whose cases income/loss shown in

				principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) Kolar Municipality Bhopal (c) District of Bhopal – Remaining part (i.e. other than area of Bhopal Municipal Corporation and Kolar Municipality) of Huzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner / Commissioner of Income Tax , Bhopal -1 & 2	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4) (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
4	Income Tax Officer 2(3), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'K' or 'L' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos. 45 to 48	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

				whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	
5	Income Tax Officer 2(4), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'M' and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal -Ward Nos 49 to 52	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
6	Income Tax Officer 2(5), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of BHEL, Bhopal and in whose cases income/loss shown in latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.

Explanation:-

For the purposes of this Notification-

- (i) "Residing" means,-
- (a) In the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification:
- (b) In the case of a Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and
- (c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where its/the head office is located.
- (ii) In cases of companies whose names begin with any of the numerals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.
- (iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's, the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.
- (iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.
- (v) The word 'persons' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of section 2 of Income-tax Act, 1961.
- (vi) Municipal Ward Nos. of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule of this Notification are as per Notification No. 3222/ सा.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.

Sd.

(B.K. Gupta)

Additional Commissioner of Income-tax
Range -2, Bhopal

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 065-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पिपरवाह	निजी भूमि रकबा 12.633 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.195 है. कुल रकबा 12.828 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मिठासन व्यपवर्तन तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकवे) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 071-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय, की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	पडेरी	निजी भूमि रकबा 9.163 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.438 है. कुल रकबा 9.601 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्वालियर	भितरवार	जतर्था	464 340	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर.
			योग . . .	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.
			0.209	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-13-14-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्वालियर	डबरा	कल्याणी-4	947 0.021	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1, डबरा, जिला ग्वालियर.
			योग . . .	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			0.021	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	डोंगरपुर	919 मिन 0.081 933/1 0.087 96 मिन 0.205 योग . . 0.373	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	चिटोली	कुलकिता 15 रकबा 0.885 योग . . 0.885	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर एवं उपशाखाओं के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	सर्वे नम्बर (2)	कुल रकबा है. (3)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (है. में.) (4)
1	36	0.759	0.237
2	7/1/1/मिन-1	0.418	
3	7/1/1/मिन-2	0.418	
4	7/1/1/मिन-3	0.627	
5	7/1/1/मिन-4	0.418	
6	7/1/1/मिन-5	0.418	
7	7/1/1/मिन-6	0.627	0.648
8	7/1/1/मिन-7	0.418	
9	7/1/1/मिन-8	0.627	
10	7/1/2	0.613	
11	7/1/3क	0.195	
12	7/1/3/ख	0.418	
13	7/1/4	0.613	
14	7/1/5	0.613	0.885
15	7/2	1.000	

प्र. क्र. 30-अ-82-14-15-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे रकबा नम्बर (हे. में.)	धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	नारायणपुर	124 0.060	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय	हरसी उच्चस्तरीय नहर की
			130 0.100	नहर संभाग क्र. 2 डबरा, जिला	शीतला माता शाखा नहर के
			125 0.060	ग्वालियर.	निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
			40/मिन 1 0.060		
			योग . . 0.280		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 18 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 08/एल. ए.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	जावर	1.384	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-1) पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल.	तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 09-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 08/एल. ए.-2016.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल द्वारा पत्र क्र. भो/नि/आर.ओ.बी.-तलवडिया दिनांक 18-2-2016 प्रस्तुत कर तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल है. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	57	जावर	1.384	तलवडिया रेल्वे स्टेशन के पास ग्राम जावर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण-1) पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं	287	0.019
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	288	0.117
	286	0.155
रीवा, दिनांक 18 अप्रैल 2016	280	0.094
	277	0.006
पत्र क्र. 1140-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन	289	0.100
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	279	0.202
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	278	0.035
भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-	102	0.072
अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	128	0.032
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके	103	0.038
द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर	104	0.029
स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	127	0.060
	126	0.014
अनुसूची	106	0.058
(1) भूमि का वर्णन—	122	0.087
(क) जिला—रीवा	121	0.091
(ख) तहसील—नईगढ़ी	107	0.065
(ग) ग्राम—इटहा खपरैलान 62	110	0.057
(घ) क्षेत्रफल—4.332 हेक्टेयर.	120	0.173
खसरा नं.	108	0.019
	(हेक्टेयर में)	111
(1)	(2)	95
		113
अ-निजी पट्टे की भूमि		0.030
		94
303	0.060	114
304	0.047	
305	0.069	92
302	0.020	90
301	0.064	91
306	0.030	89
307	0.024	109
308	0.023	56
298	0.006	61
300	0.188	60
299	0.107	58
295	0.034	57
247	0.005	59
248	0.120	52
249	0.025	51
250	0.031	53
251	0.176	47
252	0.212	46
		45
		0.220

(1)	(2)
44	0.076
129	0.002
<hr/>	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.332
<hr/>	
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	4.332

(1)	(2)
174	0.070
175	0.027
<hr/>	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.486
<hr/>	
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
162	0.066
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.066
अ + ब का योग . .	0.552

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1142-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

पत्र क्र. 1144-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—बहेरा 710
- (घ) क्षेत्रफल—0.552 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
172	0.096
171	0.071
173	0.179
170	0.043

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—अटरा 3
- (घ) क्षेत्रफल—3.748 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
96	0.496
95	0.232
123	0.232
93	0.094
94	0.041

(1)	(2)
92	0.020
125	0.020
124	0.343
121	0.307
122	0.091
130	0.213
131	0.016
137	0.042
136	0.037
139	0.060
140	0.045
141	0.030
226/154	0.027
154	0.193
185	0.138
230/185	0.055
152	0.109
153	0.114
138	0.066
151	0.211
186	0.165
188	0.169
189	0.179
194	0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.748

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	3.748

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1146-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—तेंदुआ उन-229
(घ) क्षेत्रफल—0.575 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

110	0.310
133	0.265
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.575

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.575

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1148-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—करौंदहा 104		(घ) क्षेत्रफल—0.239 हेक्टेयर.		(घ) क्षेत्रफल—12.250 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	अ-निजी पट्टे की भूमि			
अ-निजी पट्टे की भूमि		1364	0.237		
		1366	0.003		
		1367	0.030		
35	0.063	1363	0.162		
36	0.173	1179	0.036		
37	0.003	1180	0.069		
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		1182	0.052		
	<u>0.239</u>	1181	0.158		
ब-म.प्र. शासन की भूमि		1183	0.182		
		1184	0.038		
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .		1187	0.038		
	<u>0.000</u>	1199	0.050		
अ + ब का योग . .		2628/1187	0.139		
	<u>0.239</u>	1195	0.007		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		1190	0.047		
		1191	0.089		
		1192	0.094		
		1193	0.084		
		1194	0.184		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		776	0.037		
		1212	0.007		
		775	0.020		
		755	0.076		
		757	0.063		
		756	0.020		
		758	0.004		
		759	0.108		
		764	0.206		
		762	0.007		
		763	0.025		
		739	0.052		
		765	0.054		
		738	0.036		
		737	0.017		
		2447/937	0.052		
(1) भूमि का वर्णन—		734	0.081		
(क) जिला—रीवा		722	0.038		
(ख) तहसील—नईगढ़ी		733	0.032		
(ग) ग्राम—इटहा कला 54		723	0.073		
		2409/718	0.048		

(1)	(2)	(1)	(2)
724	0.073	887	0.076
731	0.001	886	0.001
725	0.086	903	0.091
727	0.054	902	0.068
726	0.014	921	0.159
696	0.112	923	0.096
697	0.002	976	0.089
689	0.127	977	0.166
699	0.002	975	0.053
685	0.055	981	0.007
684	0.020	982	0.367
683	0.021	966	0.001
682	0.053	1029	0.020
681	0.034	1030	0.032
701	0.001	1028	0.014
702	0.040	1031	0.028
703	0.020	1032	0.004
704	0.001	1033	0.026
569	0.024	1027	0.014
568	0.041	1025	0.001
566	0.063	1024	0.126
567	0.028	1023	0.123
565	0.076	1056	0.091
564	0.029	1489	0.061
561	0.012	1058	0.001
560	0.040	1490	0.020
559	0.001	1488	0.043
462	0.020	1487	0.061
461	0.067	1486	0.032
460	0.046	1464	0.209
463	0.036	1465	0.100
466	0.068	1466	0.129
464	0.028	1463	0.003
458	0.003	1468	0.010
465	0.028	1467	0.032
452	0.055	1462	0.003
453	0.008	1469	0.025
451	0.170	1470	0.028
450	0.012	2459/1462	0.014
883	0.210	1480	0.015
882	0.003	1471	0.181
444	0.006	1472	0.049
884	0.070	1473	0.021
885	0.055	1475	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
1474	0.045	1702	0.010
1619	0.015	1178	0.004
2468/1619	0.009		
1620	0.017	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	12.026
2474/1739	0.076		
1740	0.032	ब-म.प्र. शासन की भूमि	
1741	0.003	563	0.040
1742	0.025	1669	0.037
1623	0.019	1026	0.103
1739	0.065	1663	0.033
1738	0.038	2411/1664	0.011
1743	0.002	म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.224
1744	0.060	अ + ब का योग . .	12.250
1737	0.040		
1745	0.026	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती	
1747	0.014	नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली	
1746	0.053	निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के	
1749	0.163	अर्जन हेतु.	
1748	0.050	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
1713	0.065	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में	
1712	0.140	किया जा सकता है.	
1714	0.084		
1715	0.186		
1716	0.088	पत्र क्र. 1152-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन	
1690	0.229	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
1677	0.508	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
1666	0.161	भूमि-सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-	
1665	0.407	अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
1678	0.274	का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके	
1661	0.070	द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर	
1662	0.298	स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
459	0.031	अनुसूची	
979	0.038	(1) भूमि का वर्णन—	
1055	0.011	(क) जिला—रीवा	
1365	0.002	(ख) तहसील—मनगवां	
721	0.016	(ग) ग्राम—बहेरा 349	
1975	0.153	(घ) क्षेत्रफल—1.886 हेक्टेयर.	
2490/1995	0.026		
1494	0.027	खसरा नं.	अर्जित रकबा
1995	0.438		(हेक्टेयर में)
1994	0.530	(1)	(2)
1993	0.001	अ-निजी पट्टे की भूमि	
1189	0.002	68	0.181
732	0.013	67	0.041

(1)	(2)	(घ) क्षेत्रफल—7.446 हेक्टर.	
		खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
66	0.064		
71	0.027		
70	0.028		
69	0.100		
103/67	0.009		
59	0.014	1197	0.411
58	0.470	1214	0.273
56	0.496	1213	0.287
54	0.014	1212	0.183
53	0.201	1202	0.030
52	0.229	1201	0.043
81	0.012	1205	0.147
		657	0.064
		776	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.886	1206	0.127
		940	0.363
ब-म.प्र. शासन की भूमि		938	0.010
		939	0.010
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000	941	0.030
अ + ब का योग . .	1.886	942	0.511
		961	0.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		962	0.015
		955	0.243
		957	0.061
		956	0.020
		954	0.168
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		952	0.210
		951	0.242
		945	0.088
		944	0.134
		817	0.402
		947	0.008
		812	0.213
		813	0.130
		816	0.040
		814	0.081
		815	0.245
		805	0.181
		794	0.061
		795	0.053
		796	0.058
		793	0.065
		792	0.082
		783	0.032
		782	0.008

पत्र क्र. 1154-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—मड़ना 812

(1)	(2)
784	0.024
788	0.053
789	0.021
785	0.015
786	0.012
642	0.010
787	0.088
641	0.097
640	0.070
645	0.024
701	0.002
646	0.150
647	0.002
700	0.187
699	0.027
698	0.208
694	0.018
697	0.093
695	0.042
656	0.018
661	0.015
660	0.578
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 7.115	
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
1191	0.072
825	0.002
696	0.014
658	0.078
659	0.165
म.प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.331	
अ + ब का योग . . . 7.446	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—इटहाई 30

(घ) क्षेत्रफल—3.417 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

125	0.027
124	0.234
121	0.040
120	0.571
119	0.036
117	0.054
123	0.199
118	0.049
100	0.019
101	0.290
88	0.005
87	0.114
86	0.076
187/86	0.045
64	0.746
65	0.097
66	0.014
53	0.316
54	0.002
52	0.478
70	0.003
85	0.002

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 3.417

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 3.417

पत्र क्र. 1156-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(1)

(2)

19

0.002

2

0.002

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.100

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

ब-म.प्र. शासन की भूमि

20

0.030

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.030

अ + ब का योग . . 2.130

पत्र क्र. 1158-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—झूंसी 362

(घ) क्षेत्रफल—2.130 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

68	0.201
67	0.014
49	0.113
50	0.326
51	0.034
46	0.229
36	0.276
37	0.016
13	0.214
12	0.123
10	0.035
9	0.201
8	0.064
7	0.202
6	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1160-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—भटिंगवां 770

(घ) क्षेत्रफल—5.564 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

101	0.259
102	0.004
100	0.420
107	0.160
125	0.075
126	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
127	0.230	164	0.043
128	0.031	508/328	0.084
132	0.008	511/102	0.040
134	0.036	519	0.057
136	0.073	137	0.004
133	0.247	163	0.012
167	0.168	162	0.006
166	0.147	323	0.004
168	0.157	439	0.006
170	0.120	440	0.005
171	0.058	442	0.003
172	0.030	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>5.390</u>
165	0.145		
173	0.207	ब-म.प्र. शासन की भूमि	
174	0.225	180	0.037
175	0.004	99	0.070
178	0.008	456	0.067
518/179	0.048	म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.174</u>
328	0.062	अ + ब का योग . .	<u>5.564</u>
326	0.043		
327	0.483	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती	
438	0.261	नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली	
437	0.047	निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के	
441	0.060	अर्जन हेतु.	
436	0.024	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं	
435	0.020	पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में	
447	0.008	किया जा सकता है.	
448	0.003		
445	0.060		
444	0.043		
464	0.110	पत्र क्र. 1162-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन	
446	0.022	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	
462	0.113	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	
460	0.001	भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-	
461	0.055	अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
479	0.058	का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके	
459	0.122	द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर	
480	0.132	स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-	
457	0.061		
481	0.337	अनुसूची	
434	0.008	(1) भूमि का वर्णन—	
443	0.076	(क) जिला—रीवा	
463	0.009	(ख) तहसील—मनगवां	
124	0.003	(ग) ग्राम—परासी 285	

(घ) क्षेत्रफल—2.602 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
98	0.024
88	0.124
97	0.069
89	0.185
99	0.107
95	0.122
94	0.001
46	0.215
93	0.028
92	0.054
51	0.010
47	0.026
48	0.066
49	0.107
50	0.162
22	0.214
21	0.017
20	0.197
19	0.094
18	0.024
17	0.020
16	0.685
4	0.051
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.602</u>

ब-म.प्र. शासन की भूमि

म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>2.602</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1164-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—इटहा गंगाराम 55
(घ) क्षेत्रफल—0.566 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
63	<u>0.566</u>
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.566</u>

ब-म.प्र. शासन की भूमि

म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.566</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1166-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर

स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—नईगढ़ी
 (ग) ग्राम—झसी 364
 (घ) क्षेत्रफल—2.492 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

88	0.004
86	0.058
85	0.224
84	0.020
87	0.129
94	0.115
93	0.139
108	0.028
107	0.008
109	0.032
106	0.020
112	0.094
110	0.042
113	0.088
114	0.061
115	0.022
119	0.210
118	0.132
128	0.023
147	0.253
148	0.042
142	0.324
149	0.054
145	0.210
146	0.050
144	0.007
153	0.002
133	0.001
95	0.003

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 2.395

(1)

(2)

ब-म.प्र. शासन की भूमि

111	0.033
171	0.064
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.097
अ + ब का योग . .	2.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1168-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मऊगंज
 (ग) ग्राम—पलिया त्रिवेणी 594
 (घ) क्षेत्रफल—9.401 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

638	0.072
637	0.251
634	0.076
636	0.029
635	0.202
629	0.026
628	0.094
583	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
582	0.072	336	0.291
581	0.057	359	0.025
580	0.059	357	0.031
579	0.054	318	0.107
575	0.021	317	0.327
577	0.107	338	0.088
576	0.172	314	0.281
559	0.163	183	0.633
557	0.011	160	0.228
556	0.040	161	0.431
554	0.155	140	0.123
553	0.011	139	0.178
552	0.087	141	0.025
550	0.033	142	0.202
548	0.070	155	0.017
549	0.033	144	0.095
547	0.030	145	0.131
531	0.128	148	0.110
530	0.076	146	0.141
532	0.061	94	0.148
533	0.028	93	0.047
529	0.085	92	0.195
451	0.051	149	0.030
453	0.042	61	0.044
441	0.025	63	0.025
442	0.092	11	0.278
652/438	0.046	10	0.004
439	0.068	14	0.276
438	0.045	316	0.040
653/439	0.069	315	0.086
433	0.034	527	0.018
432	0.408	437	0.003
385	0.062	337	0.008
386	0.225	534	0.001
379	0.191	339	0.006
378	0.126	313	0.008
388	0.053	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	9.321
387	0.079		
366	0.010		
364	0.352		
363	0.016		
361	0.023	ब-म.प्र. शासन की भूमि	
362	0.026		
360	0.173		
		452	0.080
		म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.080
		अ + ब का योग . .	9.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1170-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—डूड़ा 214
(घ) क्षेत्रफल—0.796 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
47	0.395
42	0.012
41	0.132
40	0.001
28	0.007
29	0.135
30	0.039
23	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.722
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
9	0.074
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.074
अ + ब का योग . .	0.796

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली

निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1172-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—सिरैया 545
(घ) क्षेत्रफल—1.677 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
80	0.247
81	0.213
82	0.077
83	0.552
84	0.049
85	0.014
56	0.194
57	0.010
55	0.035
54	0.146
53	0.119
88	0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.659

ब-म.प्र. शासन की भूमि

79	0.018
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.018
अ + ब का योग . .	1.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	(1)	(2)
	230	0.065
	208	0.036
	207	0.044
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	204	0.014
	202	0.022
	198	0.103
	197	0.110
पत्र क्र. 1174-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	112	0.113
	113	0.112
	109	0.198
	110	0.026
	98	0.006
	99	0.396
	79	0.326
	86	0.014
	85	0.049
	87	0.106
	84	0.104
	88	0.017
	83	0.068
	89	0.093
	8	0.006
	7	0.092
	6	0.030
	5	0.088
	213	0.002
	81	0.002
	201	0.228
	209	0.001
	203	0.002
	115	0.003
	114	0.003
	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 5.510	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—नईगढ़ी

(ग) ग्राम—तिवरिगवां 433

(घ) क्षेत्रफल—5.510 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

252	0.003
251	0.081
250	0.350
249	0.441
247	0.317
248	0.017
246	0.362
245	0.082
216	0.255
215	0.154
214	0.574
224	0.008
212	0.211
225	0.029
228	0.019
229	0.022
211	0.106

ब-म.प्र. शासन की भूमि

म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	5.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1176-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—कलरा 106
(घ) क्षेत्रफल—0.558 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

54/1	0.518
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.518

ब-म.प्र. शासन की भूमि

56	0.040
म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.040
अ + ब का योग . .	0.558

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1178-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-

अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) ग्राम—कौदा-653
(घ) क्षेत्रफल—1.907 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

55	0.096
134	0.102
38	0.304
33	0.010
37	0.055
140/139	0.065
40	0.380
48	0.840
54	0.003
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.855

ब-म.प्र. शासन की भूमि

39	0.052
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.052
अ + ब का योग . .	1.907

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1180-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-

अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—तेंदुआ कोठार 228
(घ) क्षेत्रफल—4.137 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

117	0.109
118	0.017
110	0.758
109	0.077
106	0.005
108	0.079
107	0.063
131	0.357
132	0.011
134	0.129
135	0.117
23	0.027
136	0.142
137	0.005
21	0.117
147	0.169
148	0.017
149	0.334
150	0.005
151	0.132
152	0.308
279	0.243
278	0.068
281	0.153
282	0.220
283	0.118
7	0.110
116	0.002

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.892

(1)

(2)

ब-म.प्र. शासन की भूमि

1	0.245
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.245
अ + ब का योग . .	4.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1182-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—सिगटी-543
(घ) क्षेत्रफल—3.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

259	0.045
258	0.015
260	0.093
275	0.058
261	0.070
266	0.055
265	0.113
267	0.038
268	0.036
274	0.052

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
273	0.148			
272	0.003			
270	0.299			
269	0.048			
279	0.010		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
280	0.003			
246	0.277			
227	0.018			
226	0.036			
228	0.088			
225	0.050			
221	0.030			
222	0.080			
215	0.332			
213	0.058			
208	0.148			
173	0.028			
171	0.091			
172	0.023			
175	0.015			
169	0.039			
168	0.089			
167	0.035			
166	0.020			
165	0.045			
164	0.042			
163	0.001			
161	0.017			
157	0.249			
153	0.069			
158	0.159			
151	0.016			
205	0.026			
156	0.001			
152	0.001			
159	0.001			
290	0.087			
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.257			
ब-म.प्र. शासन की भूमि				
230	0.128			
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.128			
अ + ब का योग . .	3.385			
		पत्र क्र. 1184-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		
		अनुसूची		
		(1) भूमि का वर्णन—		
		(क) जिला—रीवा		
		(ख) तहसील—मनगवां		
		(ग) ग्राम—पुरवा कोठार 318		
		(घ) क्षेत्रफल—1.510 हेक्टर.		
		खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
		(1)	(2)	
		अ-निजी पट्टे की भूमि		
		125	0.081	
		89	0.154	
		88	0.080	
		81	0.121	
		82	0.015	
		80	0.016	
		77	0.134	
		76	0.275	
		30	0.015	
		28	0.256	
		27	0.176	
		26	0.153	
		25	0.028	
		24	0.006	
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.510	

(1)	(2)
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
	0.000
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	1.510
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	

पत्र क्र. 1186-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—सिरमौर
 (ग) ग्राम—जगपुरवा-175
 (घ) क्षेत्रफल—1.592 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
40	0.265
37	0.049
48	0.031
50	0.032
49	0.154
51	0.051
47	0.023
52	0.159
55	0.272
61	0.001
62	0.143

(1)	(2)
64	0.136
69	0.184
67	0.014
66	0.030
68	0.035
63	0.013
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.592

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	1.592

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1188-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

संशोधित अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगवां
 (ग) ग्राम—कोती 78
 (घ) क्षेत्रफल—1.074 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

51	0.321
26	0.094
27	0.051

(1)	(2)	(1)	(2)
23	0.007	288	0.116
21	0.198	290	0.001
28	0.027	285	0.291
29	0.060	250	0.152
30	0.133	264	0.202
31	0.008	265	0.260
12	0.023	283	0.063
11	0.093	266	0.162
10	0.059	267	0.043
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.074</u>	377/259	0.280
ब-म.प्र. शासन की भूमि		257	0.051
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	259	0.206
अ + ब का योग . .	<u>1.074</u>	अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>2.545</u>

ब-म.प्र. शासन की भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

277 0.259

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.259

अ + ब का योग . . 2.804

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1190-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—लौरी खुर्द 517
(घ) क्षेत्रफल—2.804 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

289 0.718

पत्र क्र. 1192-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मदरी 440

(घ) क्षेत्रफल—3.463 हेक्टर.

(1)

(2)

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

637

0.001

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.463

(1)

(2)

ब-म.प्र. शासन की भूमि

अ-निजी पट्टे की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 3.463

546	0.009
545	0.219
543	0.114
539	0.024
547	0.111
544	0.069
540	0.012
541	0.009
534	0.182
533	0.027
535	0.191
521	0.072
532	0.094
530	0.035
531	0.163
523	0.080
525	0.007
524	0.062
522	0.104
565	0.001
566	0.020
519	0.020
520	0.114
571	0.135
572	0.123
573	0.060
574	0.081
575	0.047
579	0.203
581	0.078
582	0.069
585	0.355
584	0.052
583	0.026
632	0.180
635	0.153
636	0.156
538	0.003
526	0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1194-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—बेलहाई 404

(घ) क्षेत्रफल—2.722 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

132	0.102
135	0.049
130	0.277
129	0.067
138	0.002
124	0.019
145	0.046

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
150	0.044	
151	0.328	
102	0.109	
101	0.007	
104	0.106	
103	0.021	
105	0.034	
93	0.055	
106	0.033	
107	0.058	
108	0.023	
109	0.001	
94	0.006	
92	0.088	
91	0.063	
89	0.040	
39	0.193	
40	0.004	
43	0.214	
44	0.002	
46	0.088	
47	0.093	
80	0.113	
56	0.025	
51	0.201	
52	0.024	
53	0.151	
128	0.001	
133	0.001	
131	0.001	
91	0.001	
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .		2.690
ब-म.प्र. शासन की भूमि		
149	0.032	
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .		0.032
अ + ब का योग . .		2.722
पत्र क्र. 1196-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—रीवा		
(ख) तहसील—मनगवां		
(ग) ग्राम—डगरदुआ 199		
(घ) क्षेत्रफल—2.388 हेक्टर.		
	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि		
	43	0.522
	45	0.333
	46	0.068
	24	0.149
	47	0.004
	48	0.042
	23	0.203
	58	0.133
	21	0.084
	17	0.163
	18	0.045
	19	0.058
	14	0.089
	15	0.008
	13	0.063
	12	0.259
	11	0.022
	143	0.007
	59	0.006
	142	0.001
	22	0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु,		

(1)	(2)
20	0.001
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.261
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
160	0.092
44	0.035
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.127
अ + ब का योग . .	2.388

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1198-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—माजन रक्शा-474
- (घ) क्षेत्रफल—2.249 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
415	0.285
417	0.349
418	0.022
419	0.310
420	0.118
407	0.109

(1)	(2)
405	0.073
406	0.075
403	0.168
402	0.577
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.086

ब-म.प्र. शासन की भूमि

410	0.163
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.163
अ + ब का योग . .	2.249

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1200-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—बाबूपुर 379
- (घ) क्षेत्रफल—0.552 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
220	0.019
219	0.095
221	0.438
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.552

(1)	(2)
ब-म.प्र. शासन की भूमि	
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	0.552
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
पत्र क्र. 1202-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगावां
 (ग) ग्राम—बांस 377
 (घ) क्षेत्रफल—3.487 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

2554	0.005
2421	0.050
2419	0.238
2418	0.175
2417	0.093
2416	0.306
2420	0.001
2413	0.113
2411	0.020
2412	0.336
2409	0.060

(1)	(2)
2405	0.046
2407	0.349
2352	0.037
2406	0.054
2354	0.076
2353	0.320
2358	0.255
2355	0.295
2356	0.020
2357	0.036
2359	0.020
2372	0.279
2373	0.025
2374	0.082
2370	0.158
2369	0.024
2368	0.014
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.487

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	3.487

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1204-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा

- (ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—रनगढ़ 490
(घ) क्षेत्रफल—2.775 हेक्टर.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

277/306	0.099
277	0.363
276	0.022
268	0.312
267	0.013
264	0.052
263	0.108
177	0.191
179	0.006
79	0.007
180	0.021
181	0.035
182	0.058
182/291	0.015
172	0.143
184	0.056
188	0.055
187	0.082
186	0.051
88	0.129
87	0.112
85	0.064
86	0.024
84	0.107
76	0.468
78	0.159

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.752

ब-म.प्र. शासन की भूमि

104 0.023

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.023

अ + ब का योग . . 2.775

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1206-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—काटन-64
(घ) क्षेत्रफल—1.292 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

101	0.082
100	0.005
99	0.028
102	0.082
103	0.220
105	0.049
136	0.199
134	0.010
110	0.130
126	0.020
127	0.006
125	0.005
124	0.027
123	0.011
111	0.073
118	0.121
117	0.005
119	0.016
116	0.113
115	0.084
63	0.005

(1)	(2)	(1)	(2)
106	0.001	281	0.076
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.292	280	0.132
ब-म.प्र. शासन की भूमि		279	0.004
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .		4	0.240
अ + ब का योग . .		278	0.149
		191	0.283
		188	0.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		189	0.119
		489/382	0.019
		186	0.131
		187	0.111
		105	0.160
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		196	0.039
		103	0.146
		100	0.141
		60	0.355
		15	0.409
		14	0.009
		13	0.148
		12	0.202
		9	0.010
		485	0.042
		8	0.192
		7	0.016
		6	0.312
		5	0.019
		3	0.018
		2	0.025
		486/173	0.001
		193	0.001
		10	0.001
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	
		4.138	
अनुसूची		ब-म.प्र. शासन की भूमि	
(1) भूमि का वर्णन—	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	297	0.019
(क) जिला—रीवा		293	0.055
(ख) तहसील—सिरमौर		1	0.029
(ग) ग्राम—कोलहाई 90		ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	
(घ) क्षेत्रफल—4.241 हेक्टर.		0.103	
		अ + ब का योग . .	
		4.241	
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
अ-निजी पट्टे की भूमि			
298	0.249		
294	0.103		
295	0.002		
290	0.063		
288	0.030		
289	0.059		
291	0.014		
169	0.094		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1210-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—टेहरा-196
(घ) क्षेत्रफल—3.876 हेक्टर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

727	0.014
714	0.006
693	0.044
728	0.005
724	0.044
723	0.024
717	0.035
716	0.004
722	0.013
715	0.122
711	0.122
706	0.003
707	0.044
708	0.086
709	0.083
710	0.027
700	0.092
698	0.011
699	0.041
681	0.178

(1)	(2)
682	0.043
124	0.003
39	0.004
123	0.138
684	0.041
685	0.019
109	0.293
110	0.085
111	0.002
113	0.054
112	0.020
126	0.049
127	0.182
128	0.009
130	0.049
133	0.097
132	0.002
134	0.017
125	0.082
135	0.092
179	0.034
178	0.416
137	0.076
147	0.001
148	0.102
149	0.111
150	0.075
171	0.029
170	0.056
159	0.102
161	0.001
167	0.144
166	0.009
165	0.015
164	0.016
163	0.121
233	0.020
232	0.070
235	0.117
234	0.022
241	0.001
240	0.010
151	0.038
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.865

(1)	(2)	(1)	(2)
ब-म.प्र. शासन की भूमि		276	0.050
236	0.011	275	0.097
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.011	274	0.059
		277	0.213
अ + ब का योग . .	3.876	181	0.121
		182	0.136
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		180	0.020
		175	0.038
		176	0.053
		177	0.190
		178	0.018
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		179	0.008
		306	0.021
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.931

पत्र क्र. 1212-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगवां
 (ग) ग्राम—भोथी 426
 (घ) क्षेत्रफल—1.931 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

300	0.042
302	0.077
305	0.006
304	0.031
303	0.134
279	0.023
280	0.594

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का योग . .	1.931

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1214-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—लालगांव 510	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—9.335 हेक्टर.	345	0.159
खसरा नं.	अर्जित रकबा	
	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
अ-निजी पट्टे की भूमि		
690	0.122	0.120
689	0.026	0.127
687	0.015	0.165
692	0.045	0.086
686	0.062	0.125
685	0.045	0.049
712	0.245	0.006
684	0.018	0.026
682	0.387	0.048
671	0.542	
613	0.235	
611	0.053	
614	0.002	
621	0.095	
622	0.302	
624	0.466	
560	0.322	
539	0.152	
541	0.049	
542	0.006	
683	0.048	
546	0.043	
547	0.174	
555	0.001	
556	0.419	
533	0.060	
474	0.574	
471	0.283	
473	0.153	
433	0.035	
434	0.183	
435	0.128	
335	0.028	
472	0.094	
2624/337	0.009	
407	0.215	
411	0.930	
343	0.193	
346	0.177	
		अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 9.046
ब-म.प्र. शासन की भूमि		
	691	0.051
	607	0.027
	623	0.030
	543	0.015
	544	0.072
	275	0.033
	545	0.033
	663	0.028
		ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.289
		अ + ब का योग . . . 9.335
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
पत्र क्र. 1216-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता		

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—टटिहरा 221
(घ) क्षेत्रफल—0.263 हेक्टर.

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—भीर 477
(घ) क्षेत्रफल—1.920 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

245	0.127
251	0.016
247	0.110
248	0.010

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 0.263

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.000

अ + ब का योग . . . 0.263

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1218-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

656	0.098
651	0.068
650	0.033
579	0.066
578	0.042
580	0.009
570	0.107
569	0.107
573	0.016
568	0.024
527	0.212
526	0.071
525	0.089
517	0.156
497	0.136
500	0.065
467	0.080
468	0.040
471	0.028
470	0.002
347	0.027
348	0.007
351	0.007
295	0.014
296	0.004
297	0.008
272	0.009
271	0.068
496	0.002
581	0.042
591	0.003
590	0.058

(1)	(2)	(घ) क्षेत्रफल—1.512 हेक्टर.	
		खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
589	0.011		
588	0.018		
587	0.003		
519	0.028		
520	0.033		
521	0.003	27	0.029
522	0.013	26	0.296
492	0.011	25	0.009
491	0.006	29	0.203
490	0.018	19	0.214
463	0.026	23	0.010
462	0.044	20	0.164
469	0.001	17	0.059
299	0.004	21	0.008
501	0.003	16	0.258
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.920	15	0.211
		14	0.051

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 1.920

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1220-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—सर नं. 2

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 1.512**ब-म.प्र. शासन की भूमि**

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 1.512

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1222-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

- (ग) ग्राम—टटिहरी 222
(घ) क्षेत्रफल—2.101 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

83	0.084
84	0.115
81	0.015
80	0.129
79	0.014
45	0.224
44	0.438
47	0.127
48	0.107
52	0.014
53	0.077
56	0.093
57	0.183
10	0.002
7	0.168
6	0.136
3	0.093
41	0.082

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 2.101

ब-म.प्र. शासन की भूमि

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 2.101

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 5” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1224-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—बुसौली नं. 1.380
(घ) क्षेत्रफल—3.289 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

15	0.262
14	0.479
20	0.477
26	0.095
27	0.230
28	0.231
29	0.058
30	0.200
70	0.374
61	0.027
36	0.115
60	0.236
48	0.202
46	0.228
47	0.055

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . 3.269

ब-म.प्र. शासन की भूमि

54 0.020

ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.020

अ + ब का योग . . 3.289

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1226-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सिसवा 546
(घ) क्षेत्रफल—2.027 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

359	0.038
360	0.085
361	0.027
362	0.073
363	0.096
364	0.095
366	0.100
367	0.025
374	0.238
375	0.003
227	0.006
230	0.280
377	0.009
378	0.030
373	0.111
258	0.003
257	0.095
259	0.110
256	0.317
228	0.160
232	0.080
231	0.004
335	0.001
334	0.001

अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.987

(1)

(2)

ब-म.प्र. शासन की भूमि

275	0.040
ब-म.प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.040
अ + ब का योग . .	2.027

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 फरवरी 2016

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—महुआडाडा, प.ह.नं. 16 बरौंहा

(घ) क्षेत्रफल—1.260 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—महुआडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
76	0.120	निजी भूमि
79/3	0.040	निजी भूमि
80/3	0.020	निजी भूमि
86/1	0.020	निजी भूमि
87/1	0.015	निजी भूमि
86/2	0.020	निजी भूमि
87/2	0.015	निजी भूमि
86/4	0.020	निजी भूमि
87/4	0.015	निजी भूमि
83	0.140	निजी भूमि
86/5	0.020	निजी भूमि
350/2	0.040	निजी भूमि
350/3	0.040	निजी भूमि
343/2	0.080	निजी भूमि
48/2	0.020	निजी भूमि
48/3	0.020	निजी भूमि
48/4	0.020	निजी भूमि
48/5	0.020	निजी भूमि
48/6	0.020	निजी भूमि
48/7	0.020	निजी भूमि
48/8	0.020	निजी भूमि
49	0.140	निजी भूमि
41	0.040	निजी भूमि
37/1	0.015	निजी भूमि
37/2	0.015	निजी भूमि
37/3	0.015	निजी भूमि
35/1	0.030	निजी भूमि
35/2	0.030	निजी भूमि
32/1	0.020	निजी भूमि
32/2	0.020	निजी भूमि
32/3	0.020	निजी भूमि
161	0.010	निजी भूमि
163	0.060	निजी भूमि
46/2	0.100	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.260

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—सिमरी बहादुर सिंह, प.ह.नं. 44

(घ) क्षेत्रफल—1.530 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
137	0.040	निजी भूमि
566	0.130	निजी भूमि
138	0.060	निजी भूमि
571	0.100	निजी भूमि
572	0.050	निजी भूमि
640	0.070	निजी भूमि
639	0.070	निजी भूमि
583	0.040	निजी भूमि
635	0.020	निजी भूमि
584	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
590	0.050	निजी भूमि
591	0.040	निजी भूमि
592	0.030	निजी भूमि
486	0.030	निजी भूमि
487	0.010	निजी भूमि
593	0.060	निजी भूमि
594	0.010	निजी भूमि
595/1	0.050	निजी भूमि
595/2	0.050	निजी भूमि
598	0.050	निजी भूमि
599	0.050	निजी भूमि
603	0.010	निजी भूमि
602	0.010	निजी भूमि
511	0.010	निजी भूमि
512/1	0.050	निजी भूमि
512/3	0.050	निजी भूमि
512/2	0.060	निजी भूमि
505	0.080	निजी भूमि
484/1	0.020	निजी भूमि
484/2	0.020	निजी भूमि
485	0.030	निजी भूमि
489	0.040	निजी भूमि
407	0.040	निजी भूमि
408	0.010	निजी भूमि
404	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	<u>1.530</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं

किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—विक्रमपुर, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—10.160 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
155	0.020	निजी भूमि
212	0.700	निजी भूमि
219/1	0.400	निजी भूमि
219/2	0.400	निजी भूमि
220/1	1.000	निजी भूमि
220/2	0.940	निजी भूमि
243	0.840	निजी भूमि
245	0.540	निजी भूमि
246	0.260	निजी भूमि
247	0.950	निजी भूमि
249	0.730	निजी भूमि
250	0.250	निजी भूमि
251	0.310	निजी भूमि
259	1.590	निजी भूमि
302	0.300	निजी भूमि
282	0.070	निजी भूमि
267	0.200	निजी भूमि
244	0.220	निजी भूमि
252	0.390	निजी भूमि
218/2	0.050	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि .. 10.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—जसवंतपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—तुर्कीताल, प.ह.नं. 44
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.390 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
245	0.120	निजी भूमि
247	0.010	निजी भूमि
248	0.020	निजी भूमि
246/1	0.010	निजी भूमि
244	0.050	निजी भूमि
243	0.010	निजी भूमि
249	0.010	निजी भूमि
329	0.100	निजी भूमि
328	0.100	निजी भूमि
327	0.010	निजी भूमि
326	0.010	निजी भूमि
320	0.060	निजी भूमि
322/2	0.040	निजी भूमि
322/1	0.040	निजी भूमि
323/2	0.010	निजी भूमि
321	0.060	निजी भूमि
430	0.150	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
445/2	0.050	निजी भूमि
447	0.020	निजी भूमि
448	0.150	निजी भूमि
445/1	0.050	निजी भूमि
206	0.310	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 1.390

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—पगरा, प.ह.नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.659 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1324	0.540	निजी भूमि
1325	0.320	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1276	0.040	निजी भूमि
2942/1	0.020	निजी भूमि
2942/2	0.050	निजी भूमि
2798	0.010	निजी भूमि
2828/1	0.040	निजी भूमि
2940/3	0.020	निजी भूमि
2796/1	0.060	निजी भूमि
2801/2क	0.020	निजी भूमि
2816/1	0.020	निजी भूमि
1246/2	0.190	निजी भूमि
1246/1	0.059	निजी भूमि
1341/1	0.270	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 1.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण (छूटे हुए एवं कम रकबा) कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 028-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—कचनारा, प.ह.नं. 12 सुरदहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
8/1 ka	0.010	निजी भूमि
23/1	0.350	निजी भूमि
25/1	0.060	निजी भूमि
25/2	0.050	निजी भूमि
19/1	0.020	निजी भूमि
22/1	0.030	निजी भूमि
22/2 ka	0.010	निजी भूमि
31/2	0.050	निजी भूमि
20	0.120	निजी भूमि
31/3	0.060	निजी भूमि
22/3	0.010	निजी भूमि
31/1 ka	0.020	निजी भूमि
19/2	0.010	निजी भूमि
8/2 kh	0.010	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 0.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—नचनौर तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 029-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के

कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			1098	0.010	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			1092	0.180	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			1093	0.060	निजी भूमि
(ख) तहसील—गुनौर			1079	0.048	निजी भूमि
(ग) ग्राम—नचनौरा, प.ह.नं. 10			1090/1	0.024	निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल—9.151 हेक्टेयर.			1080	0.050	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	1081	0.051	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	1090/2	0.010	निजी भूमि
			1082	0.132	निजी भूमि
1281	0.046	निजी भूमि	1034	0.030	निजी भूमि
1311	0.039	निजी भूमि	1033	0.054	निजी भूमि
1312	0.025	निजी भूमि	1032	0.210	निजी भूमि
1310	0.042	निजी भूमि	952	0.140	निजी भूमि
1309	0.042	निजी भूमि	953	0.010	निजी भूमि
1329/1	0.135	निजी भूमि	955	0.040	निजी भूमि
1330	0.045	निजी भूमि	954	0.020	निजी भूमि
1331/1	0.030	निजी भूमि	1329/2	0.050	निजी भूमि
1338	0.120	निजी भूमि	1331/2	0.030	निजी भूमि
1339	0.050	निजी भूमि	1648	0.114	निजी भूमि
1340	0.050	निजी भूमि	1676	0.020	निजी भूमि
1356	0.060	निजी भूमि	1604	0.011	निजी भूमि
1355	0.083	निजी भूमि	1667/1	0.060	निजी भूमि
1354	0.016	निजी भूमि	1666	0.020	निजी भूमि
1372	0.078	निजी भूमि	1657	0.200	निजी भूमि
1353	0.060	निजी भूमि	1656	0.030	निजी भूमि
1351	0.015	निजी भूमि	1165	0.010	निजी भूमि
1349	0.025	निजी भूमि	1163	0.020	निजी भूमि
1350	0.020	निजी भूमि	1164	0.150	निजी भूमि
1347	0.010	निजी भूमि	1162	0.160	निजी भूमि
1097	0.060	निजी भूमि	1159	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
856	0.060	निजी भूमि	445	0.020	निजी भूमि
853/1	0.040	निजी भूमि	442	0.020	निजी भूमि
855	0.050	निजी भूमि	1524	0.290	निजी भूमि
505	0.020	निजी भूमि	1533/1	0.300	निजी भूमि
506	0.060	निजी भूमि	1534	0.170	निजी भूमि
516	0.100	निजी भूमि	1535	0.150	निजी भूमि
515	0.010	निजी भूमि	1536/1	0.030	निजी भूमि
514	0.160	निजी भूमि	1537/1	0.360	निजी भूमि
477	0.010	निजी भूमि	1542/1	0.100	निजी भूमि
478	0.140	निजी भूमि	1541	0.040	निजी भूमि
480	0.010	निजी भूमि	1559	0.320	निजी भूमि
479	0.060	निजी भूमि	1313	0.190	निजी भूमि
481	0.040	निजी भूमि	1316	0.220	निजी भूमि
482	0.030	निजी भूमि	1318	0.230	निजी भूमि
483	0.020	निजी भूमि	1538	0.500	निजी भूमि
485	0.120	निजी भूमि	1574	0.500	निजी भूमि
487	0.020	निजी भूमि	1620	0.080	निजी भूमि
450	0.180	निजी भूमि	1533/2	0.300	निजी भूमि
443	0.100	निजी भूमि	1536/2	0.030	निजी भूमि
444	0.030	निजी भूमि	1537/2	0.360	निजी भूमि
441	0.080	निजी भूमि	1542/2	0.070	निजी भूमि
439	0.090	निजी भूमि			
429	0.090	निजी भूमि			
427	0.150	निजी भूमि			
426	0.020	निजी भूमि			
430	0.010	निजी भूमि			
425	0.030	निजी भूमि			
364	0.036	निजी भूमि			
446	0.090	निजी भूमि			

कुल रकबा निजी भूमि . . . 9.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 12th April 2016

No. 446-Confdl.-2016-II-3-1-2016.—In compliance of the Resolution of Chief Justices' Conference, 2014 as well as to motivate the Advocates for joining judiciary by competing in H. J. S. Examination so as to increase their representation in the Judiciary and also to sharpen their professional skills and knowledge, the Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting Workshop for Advocates from 17-4-2016 to 20-4-2016 (from 10.30 am to 5.00 pm) at Madhya Pradesh State Judicial Academy in which 52 Advocates will participate whose names are shown as per list "A" annexed with this order, on the following terms and conditions.—

1. The nominated Advocates shall have to report at 10.00 a.m. sharp on 17-4-2016 at Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur.
2. The nominated Advocates are directed to appear soberly dressed (i.e. white shirt and grey-black stripped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).
3. Nominated Advocates are expected to bring law books (bare Acts as illustrated in the syllabus of the HJS Examination)
4. Nominated Advocates shall have to make their own arrangements for travelling and accommodation.
5. The participants shall be provided with tea and snacks twice and lunch during the workshop.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. B-1584-दो-2-46-2015.— श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-1594-दो-3-32-2011.— श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 17 से 31 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1596-दो-2-33-2010.— श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 2 से 11 मार्च 2016 तक दोनों सम्मिलित करके दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1598-दो-2-17-2012.— श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 8 से 11 मार्च 2016 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-1600-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री आर. पी. एस. चौहान, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, होशंगाबाद को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 29 फरवरी 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस (एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री आर. पी. एस. चौहान, : 30-10-1987
सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
होशंगाबाद के न्यायालय के अति.
न्यायाधीश, होशंगाबाद का नियुक्ति
दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 29-2-2016
3. नियुक्ति दिनांक : शासकीय सेवा में
से दिनांक 9-3-1987 तक नियुक्ति दि. 9-3-1987
कुल सेवा अवधि. के पश्चात् होने से
लागू नहीं.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 28 वर्ष 4 माह 29 दिन
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल
सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि : लागू नहीं
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष से 15 दिनों की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210
अवधि हेतु समर्पण दिन.
अवकाश की पात्रता
(एक वर्ष में 7 दिन की दर से
तथा दो वर्ष में 15 दिन की
दर से)
7. कुल अर्जित अवकाश : 210 दिन
समर्पण की पात्रता.
8. घटाईये:—सेवा के दौरान : 36 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 174 दिन
अवकाश समर्पण की
पात्रता.

नोट :—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. B-1602-दो-3-43-2013.— श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 9 से 15 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 7 दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1604-दो-3-32-2011.— श्री ए. के. पाण्डेय, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2015 तक के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक के अर्जित अवकाश की अवधि में एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-1608-दो-2-15-2016.— श्री सुभाष कुमार जैन, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह वर्तमान में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए) 19/03 इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 2 जून 2013 से दिनांक 1 जून 2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-1610-दो-2-10-2016.— श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. 430-गोपनीय-2016-II-2-33-57 (Pt.-12).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4 मार्च 2002, 14 जनवरी 2005, 04 नवम्बर 2009, 20 मई 2011 एवं 30 जुलाई 2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु उक्त विभाग के आदेश फा. क्रमांक 1-1-2002/इक्कीस-ब(एक)-1231, दिनांक 30 मार्च 2016 के अंतर्गत नियुक्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के कार्यरत् निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	सीहोर	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से रिक्त स्थान पर. श्री मोहम्मद यूसुफ मंसूरी वर्तमान पदस्थापना के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय, देवास का समवर्ती प्रभार (concurrent charge) भी संभालेंगे एवं इस हेतु वे प्रत्येक माह में 15 दिवस के लिये कुटुम्ब न्यायालय, देवास में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

टिप्पणी.—उपरोक्त सेवानिवृत्त होने जा रहे जिला न्यायाधीश को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत होगा.

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2016

क्र. 434-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सत्येन्द्र सिंह	अलीराजपुर	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर.
2.	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा	मुरैना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	सिविल जिला, बुरहानपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री एम. वाय. मंसूरी के स्थान पर.
3.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल	भिण्ड	बालाघाट	बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा)	देवास	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सिविल जिला, अलीराजपुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री सत्येन्द्र सिंह के स्थान पर.

टिप्पणी.—(1) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 जहां तक इसका संबंध श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, मुंरैना का, मुंरैना से छिन्दवाड़ा स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री दीपक कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, भिण्ड का, भिण्ड से दमोह स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

(3) आदेश क्रमांक 309/गोपनीय/2016, दिनांक 14 मार्च, 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजेन्द्र कुमार (वर्मा), द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का, देवास से श्योपुर स्थानांतरण से है. एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

क्र. 435-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहाँ से	कहाँ को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री महेश कुमार भदकारिया	गुना	श्योपुर	श्योपुर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.	श्योपुर
2.	श्री भाऊराव पाटिल	रायसेन	दमोह	दमोह	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.	दमोह
3.	कुमारी शोभा पोरवाल	धार	ग्वालियर	ग्वालियर	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.	ग्वालियर
4.	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से.	छिन्दवाड़ा

टिप्पणी.—(1) आदेश क्रमांक 310 /गोपनीय /2016, दिनांक 14 मार्च, 2016 जहां तक इसका संबंध कुमारी शोभा पोरवाल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, धार का, धार से खुरई, जिला सागर स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल, 2016

क्र. 444-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1	श्री सूर्यपाल सिंह, राठौर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रतलाम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, रतलाम.	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री आदिल अहमद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3	सुश्री बिन्दु पटेल, सत्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4	सुश्री निधि जैन, पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर.	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्रीमती रेखा मरकाम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दतिया.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
6	श्री अजय सिंह यादव, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह जिला मुरैना.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह जिला मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह जिला मुरैना.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अम्बाह जिला मुरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 10th April 2016

No. B-1562-III-6-6-90.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Magistrates shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences under Forest Laws and Mining Laws for the Districts shown in Column No. (2) of the said table.

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Name of the Officer and Designation (3)
1	Alirajpur	Vikram Singh Bule, CJM
2	Anuppur	Smt. Shilpa Tiwari, JMFC
3	Ashok Nagar	Shri Sajjan Singh Sisodiya, JMFC
4	Balaghat	Shri Abdullah Asif, JMFC
5	Badwani	Shri Ashok Kumar Sondhiya, CJM

(1)	(2)	(3)
6	Betul	Shri Pradeep Kumar Varkade, JMFC
7	Bhind	Shri Sankarshan Prasad Pandey, JMFC.
8	Bhopal	Shri Kamlesh Itawadiya, JMFC.
9	Burhanpur	Shri Ravi Nayak, JMFC
10	Chhatarpur	Shri Lavkesh Singh, JMFC
11	Chhindwara	Shri Lokesh Taran, JMFC
12	Damoh	Shri Anurag Dwivedi, JMFC
13	Datia	Shri Rajeev Rao Gautam, JMFC
14	Dewas	Shri Jitendra Singh Kushwaha, ACJM
15	Dhar	Shri Ajay Ramawat, JMFC
16	Dindori	Shri Surendra Kumar Shrivastava, CJM
17	Guna	Shri Rajesh Sharma, JMFC
18	Gwalior	Shri Ramvilas Gupta, JMFC
19	Harda	Shri Ashish Shrivastava, JMFC
20	Hoshangabad	Shri Mayank Shukla, JMFC
21	Indore	Shri Sanjay Shrivastava, JMFC
22	Jabalpur	Shri Rajkuamar Yadav, JMFC
23	Jhabua	Shri Devdutt, JMFC
24	Katni	Shri Naveen Kumar Sharma, ACJM
25	Khandwa	Shri Akbar Sheikh, JMFC
26	Mandla	Shri Susheel Kumar Gautam, JMFC
27	Mandsaur	Shri Veerendra Joshi, JMFC
28	Morena	Shri Sabir Ahmad Khan, JMFC
29	Narsinghpur	Shri Vikas Kumar Sharma, JMFC
30	Neemuch	Shri Manoj Kumar Rathi, JMFC
31	Panna	Shri Ravi kumar Borasi, JMFC
32	Raisen	Shri Praveen Kumar Sondhiya, JMFC
33	Rajgarh	Shri Jeetendra Mehar, JMFC
34	Ratlam	Shri Rakesh Kumar Jamra, JMFC
35	Rewa	Shri Sanjay Kumar Sahi, JMFC
36	Sagar	Shri Manish Sharma, JMFC
37	Satna	Shri Vijay Kumar Pandey, JMFC
38	Sehore	Smt. Kavita Iwanati, JMFC
39	Seoni	Shri Dharmesh Bhatt, JMFC
40	Shahdol	Ku. Padma Rajore, JMFC

(1)	(2)	(3)
41	Shajapur	Shri Alok Pratap Singh, JMFC
42	Sheopur	Shri Ankit Shrivastava, JMFC
43	Shivpuri	Shri Ravindra Kumar Sharma, JMFC
44	Sidhi	Shri Prashant Shukla, JMFC
45	Singrauli	Shri Ramakant Bharke, JMFC
46	Tikamgarh	Shri Chandan Singh Chouhan, JMFC
47	Ujjain	Shri Manish Kumar Shrivastava, JMFC
48	Umariya	Shri Lokendra Singh, JMFC
49	Vidisha	Shri Dinesh Kumar Prajapati, JMFC
50	Mandleshwar	Shri Sumit Sharma, JMFC

क्र. B-1564-तीन-6-6-64.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय श्री राकेश पाटीदार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भोपाल को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-4-96/21-बी(1) दिनांक 7-9-1996 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट, भोपाल के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का मुख्यालय भोपाल में रहेगा.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उच्च न्यायालय श्री केशव मनी सिंघल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, इन्दौर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 1-1/2001/21-बी(एक) दिनांक 23 मार्च 2007 द्वारा निर्मित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के विशेष मजिस्ट्रेट, इन्दौर के रूप में, इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये नियुक्त करता है. उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों का मुख्यालय इन्दौर में रहेगा.

अनुसूची

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954)

मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956)

No. B-1564-III-6-6-64.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Rakesh Patidar, Judicial Magistrate First Class and XI Civil Judge Class-I, Bhopal, as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government *vide* Notification of Law & Legislative Affairs Department, Bhopal No. 1-4/96/21-B(1), dated 7-9-1996 in supersession of earlier notification of the High Court in this regard, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. The Headquarter of the said Court shall be at **Bhopal**.

In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Keshaw Mani Singhal Additional Chief Judicial Magistrate and III Civil Judge Class-I, Indore, as the Presiding Officer of the Special Court of Judicial Magistrate First Class established by the State Government *vide* Notification of Law & Legislative Affairs Department, Bhopal No. F-1-1/2001/21-B(1), dated 23rd March 2007 in supersession of earlier notification of the High Court in this regard, for the trial of cases relating to offences declared by or under enactments specified in schedule below. The Headquarter of the said Court shall be at **Indore**.

SCHEDULE

The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act No. 37 of 1954)

Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (Act No. 23 of 1956).

No. B-1566-III-6-4-57-IX.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its earlier Notification the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class shown in Column No. (2) of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147, 150 to 157, 159 to 168 and 172 to 176 of the Indian Railways Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class is empowered to take cognizance, arising within the Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No (4) of the said table with effect from the date of his assumption of charge of the office:—

TABLE

S. No. (1)	Name of Magistrate (2)	Head Quarter (3)	Local Area (4)
1	Shri Rituraj Singh Chouhan, ACJM, Ratlam.	Ratlam	Ratlam, Guna, Ashoknagar, Mandsaur, Neemuch, Jhabua, Alirazpur, Ujjain, Sagar, Bhopal, Indore, Dewas, Sehore, Shajapur, E. N. Khandwa, Burhanpur and Khargone.
2	Shri Manoj Kumar Sharma, JMFC, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Khandwa, Hoshangabad, Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Gwalior, Sagar, Rewa, Satna, Datia, Morena, Shahdol, Chhindwara, Mandla, Seoni, Tikamgarh, Balaghat, Narsinghpur, Betul, Chhatarpur, Damoh, Sidhi and Katni.

क्र. B-1568-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक 2 में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-1568-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court :—

ADJ CADRE

S. No. (1)	Places where Link Court is to be held (2)	Name of the Officer and designation (3)	No. of Days for the Link Court (4)
1	Sausar	Shri Alok Awasthi, AJ to I ADJ Chhindwara	2 Weeks
2	Jawad	Shri Rajendra Prasad Sharma (Jr.), I ADJ, Neemuch	15 days
3	Deori	Shri Mahendra Kumar Jain, VI ADJ, Sagar	2 Weeks
4	Rampur Baghelan	Shri R. P. Soni, III ADJ, Satna	2 Weeks
5	Budhaar	Shri Upendra Kumar Sonkar, I ADJ, Shahdol	15 days

क्र. B-1570-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में वर्णित अवधि के लिये शृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-1570-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period mentioned in the column No. (4) for holding Link Court :—

CIVIL JUDGE CADRE

S. No.	Places where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation	No. of Days for the Link Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bakswaha (Chhatarpur)	Shri Manish Anuragi, I CJ-II, Bijawar	15 days
2	Chaurai (Chhindwara)	Shri Kusumhara Chakravarty, I CJ-II, Chhindwara	15 days
3	Pachmarhi (Hoshangabad)	Shri Rajesh Kumar Agrawal, AJ to CJ-I, Piparia	3 days
4	Bhuabichhiya (Mandla)	Shri Susheel Kumar Gautam II CJ-II, Mandla	15 days
5	Tendukhera (Narsinghpur)	Shri Pankaj Jaiswal, II CJ-II, Gadawara	7 days
6	Barhi (Katni)	Shri Neeraj Pawaiyya, V CJ-II, Katni	15 days
7	Khirkhya (Harda)	Shri Pradeep Soni (Jr.) I AJ to I CJ-II, Harda	15 days

Jabalpur, the 10th April 2016

No. B-1660-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the Section (9) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Districts shown in Column No. (2) of the said table, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places :—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and designation
(1)	(2)	(3)
1	Alirajpur	Shri Chandra Mohan Upadhyay, I ASJ
2	Ashoknagar	Shri Anil Kumar Bhatia, II ASJ
3	Bhind	Shri Umesh Pandav, IV ASJ
4	Burhanpur	Shri Rajendra Kumar Nagpure, III ASJ
5	Chhindwara	Shri P. K. Mishra, III ASJ
6	Chhatarpur	Shri B. S. Rawat, II ASJ
7	Datia	Shri B. P. Markam, ASJ
8	Dhar	Shri Yashwant Singh Parmar, II ASJ
9	Hoshangabad	Smt. Rashmi Agarwal, I ASJ

(1)	(2)	(3)
10	Jabalpur	Smt. Shashikanta Vaishya, VIII ASJ
11	Mandla	Smt. Kalpana Upadhyay, III ASJ
12	Narsinghpur	Smt. Kiran Singh, II ASJ
13	Neemuch	Shri Roopesh Chandra Varshneya Special Judge SC/ST POA Act.
14	Raisen	Smt. Tripti Sharma, IV ASJ
15	Rajgarh	Shri O. P. Tiwari, II ASJ
16	Rewa	Shri Harisharan Yadav, I ASJ
17	Sagar	Smt. Mamta Jain, I ASJ
18	Satna	Smt. Usha Gedam, IV ASJ
19	Sheopur	Shri Rajendra Prasad Sharma (Sr), ASJ
20	Sidhi	Shri Rajeev Kumar Ayachi, I ASJ
21	Mandleshwar	Shri Yogesh Dutt Shukla, I ASJ

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. D-1209-तीन-6-4-81 भाग-पांच.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-4230-तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 20 सितम्बर 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हरिशरण यादव, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रीवा.	दभौरा, पनवार, अतरेला, सिरमौर, जवा, जनेह तथा सेमरिया.	विशेष न्यायालय, रीवा

No. D-1209-III-6-4-81-Pt-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. D-4230-III-6-4-81 Pt-V, dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1), for the existing entries in Column No. (2) the following entries, shall be substituted:—

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Harisharan Yadav, Ist Additional Sessions Judge, Rewa.	Dabhora, Panwar, Aathrela, Sirmour, Java, Janeh & Samariya	Special Court Rewa

क्र. D-1211-तीन-6-4-81-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-4875-तीन-6-4-81 भाग-छ, दिनांक 28 नवम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में)	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1क	श्री एल. एल. गर्ग, पंचम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	सत्र खण्ड मुरैना के पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली मुरैना, स्टेशन रोड मुरैना, नूराबाद, सरायछोला तथा रिथौराकलां.	विशेष न्यायालय, मुरैना
1ख	श्री वैभव मण्डलोई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह, मुरैना.	तहसील अम्बाह की क्षेत्रीय अधिकारिता (पुलिस थाना अम्बाह, पोरसा, सिहोनिया, दिमनी, महुआ एवं नगरा).	विशेष न्यायालय, अम्बाह
1घ	श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी (सीनि.) द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़, मुरैना.	तहसील सबलगढ़ की क्षेत्रीय अधिकारिता (पुलिस थाना सबलगढ़, पहाड़गढ़, कैलारस, रामपुरकला, टेंटरा, चिन्नौनी).	विशेष न्यायालय, सबलगढ़

नोट.—विशेष न्यायालयों में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालयों में अंतरित हो जायेंगे.

No. D-1211-III-6-4-81-VI.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-4875-III-6-4-81 Pt-V, date 26th November 2015, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1), for the existing entries in Column No. (2) the following entries, shall be substituted:—

SCHEDULE

No.	Name & Designation of Presiding Officer appointed as Special Judge	Areas for which he is proposed to be appointed as a Special Judge	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1A.	Shri L. L. Garg, Vth ASJ Morena	Police Station of Sessions Division Morena : City Kotwali Morena, Station Road, Morena, Noorabad, Sarai Chola and Rithorakala.	Special Court Morena
1B	Shri Vaibhav Mandloi, ASJ, Ambah	Territorial jurisdiction of Tehsil Ambah (Police Statation Ambah, Porsa, Sihonia, Dimni, Mahua, Nagra)	Special Court Ambah

(1)	(2)	(3)	(4)
1D	Shri O.P.S. Raghuvanshi (Sr.), IInd ASJ, Sabalgarh	Territorial jurisdiction of Tehsil Sabalgarh (Police Station Sabalgarh, Pahadgarh, Kailaras, Rampur-Kalan, Tentra, Chinnoni).	Special Court Sabalgarh

Note.—The pending cases of the Special Courts shall stand transferred to the newly constituted Courts according to their territorial jurisdiction.

क्र. D-1213-तीन-6-4-81-भाग-5.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1755-तीन-6-4-81 भाग-5, दिनांक 9 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनि.), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर.	राजस्व जिला श्योपुर	विशेष न्यायालय, श्योपुर

No. D-1213-III-6-4-81-Pt.-V.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1755-III-6-4-81 Pt.-V, dated 9th April, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1), for the existing entries in Column No. (2) the following entries, shall be substituted:—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Rajendra Prasad Sharma (Sr.), Ist ASJ, Sheopur:	Revenue District Sheopur	Special Court Sheopur

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSC(DE.)

जबलपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. D-1205-तीन-6-4-81-भाग-आठ.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी

अधिसूचना क्रमांक सी-3354-तीन-6-4-81 भाग-आठ, दिनांक 12 अगस्त 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बी. एस. रावत, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, छतरपुर.	राजस्व जिला छतरपुर	विशेष न्यायालय, छतरपुर

No. D-1205-III-6-4-81-Pt.-VIII.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-3354-III-6-4-81 Pt-VIII, dated 12th August 2015, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1), for the existing entries in Column No. (2) the following entries, shall be substituted:—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri B. S. Rawat, IInd Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Revenue District Chhatarpur	Special Court Chhatarpur

क्र. D-1207-तीन-6-4-81-भाग-6.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, एतद्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-4851-तीन-6-4-81 भाग-पांच, दिनांक 4 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें:—

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बी. पी. मरकाम, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया.	राजस्व जिला दतिया	विशेष न्यायालय, दतिया

No. D-1207-III-6-4-81-Pt.-VI.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of the Section 6 of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. D-4851-III-6-4-81 Pt-V, dated 4th September 2015, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1), for the existing entries in Column No. (2) the following entries, shall be substituted:—

SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri B. P. Markam Ist Additional Sessions Judge, Datia.	Revenue District Datia	Special Court Datia

VIVEK SAXENA, OSC(DE.)